अध्याय VI

वाणिज्यिक गतिविधियाँ

6.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

6.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। राज्य के कार्यरत सा क्षे उ की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाने हेतु की गई है। उत्तराखण्ड राज्य की सा क्षे उ राज्य की अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थान रखती हैं। सितम्बर 2011 तक उनके नवीनतम अन्तिमकृत लेखे के अनुसार राज्य के सा क्षे उ ने ₹ 2539.52 करोड़ (2010-11) का कारोबार किया। उनका कारोबार राज्य के वर्ष 2010-11 के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) के 4.87 *प्रतिशत* के बराबर था। उत्तराखण्ड राज्य के सा क्षे उ की मुख्य गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। राज्य के कार्यरत सा क्षे उ ने वर्ष 2010-11 में ₹ 221.62 करोड़ की हानि वहन की। इनमें (सा क्षे उ) 31 मार्च 2011 तक 0.19 लाख[1] कर्मचारी कार्यरत थे। राज्य के सा क्षे उ में सात प्रमुख विभागीय उपक्रम (वि उ), जो वाणिज्यिक गतिविधियों का परिचालन करते हैं, शामिल नहीं हैं। इन वि उ के लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रतिवेदन के अध्याय-II में सम्मिलित किया गया है।

6.1.2 31 मार्च 2011 को 24 सा क्षे उ थे, जिनका विवरण नीचे तालिका - 6.1.1 में दिया गया है। इनमे से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी।

तालिका 6.1.1

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ [2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	18	4	22
सांविधिक निगम	02	-	02
योग	**20**	**4**	**24**

लेखापरीक्षा अधिदेश

6.1.3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 *प्रतिशत* दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 *प्रतिशत* दत्त पूँजी पर सरकार/सरकारों,

1 विवरण 16 सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

2 अकार्यरत सा क्षे उ वे हैं जिनकी प्रचालन कार्यविधियाँ बंद कर दी गई है।

3 619-ब कम्पनी शामिल हैं।

सरकारी कम्पनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ब के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानी गई सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

6.1.4 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखे की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

6.1.5 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती हैं। राज्य के दो सांविधिक निगमों में से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखा परीक्षा नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपा गया था जिसे नि म ले (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित की गई हैं।

राज्य सा क्षे उ में निवेश

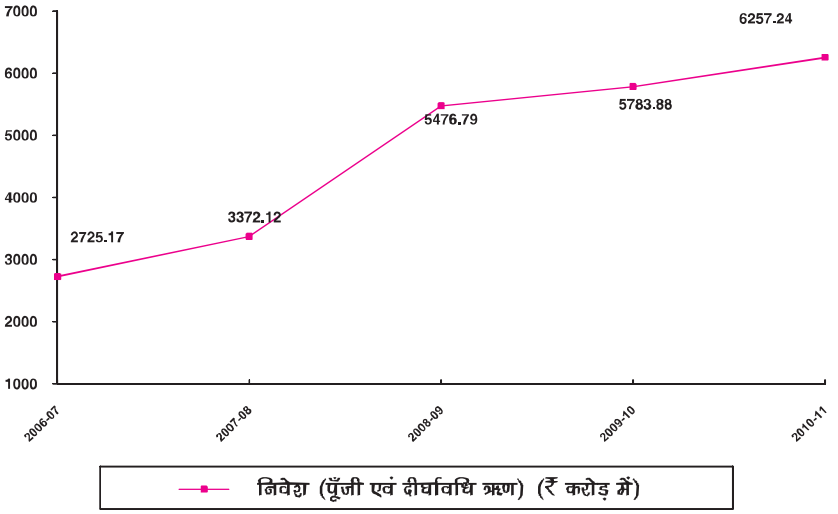
6.1.6 31 मार्च 2011 को 24 सा क्षे उ (619 ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6,257.24 करोड़ था, जिसका विवरण तालिका 6.1.2 में दिया गया हैं।

तालिका 6.1.2 *(₹ करोड़ में)*

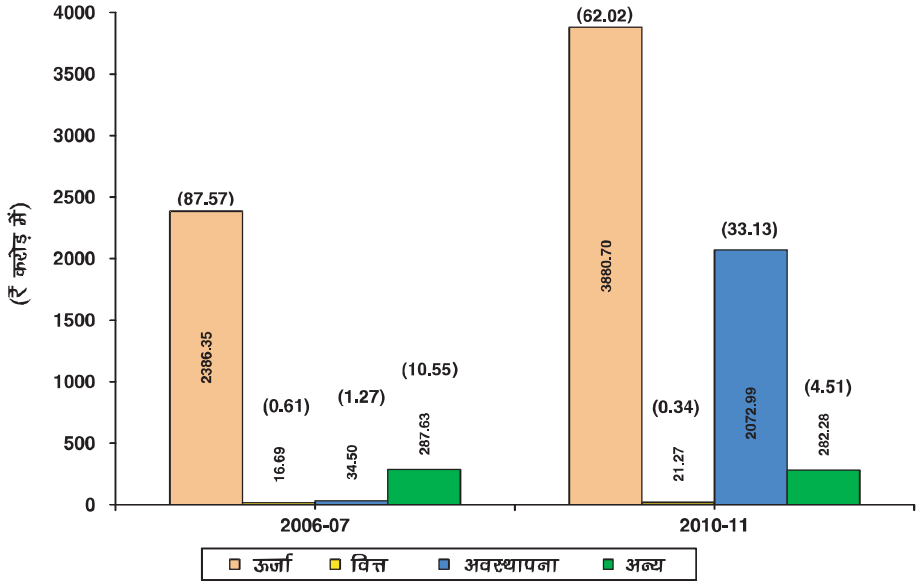
सा क्षे उ के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत सा क्षे उ	1679.97	2438.24	4118.21	2111.59	27.05	2138.64	6256.85
गैर-कार्यरत सा क्षे उ	0.39	-	0.39	-	-	-	0.39
योग	**1680.36**	**2438.24**	**4118.60**	**2111.59**	**27.05**	**2138.64**	**6257.24**

राज्य सा क्षे उ में सरकारी निवेश का विवरण *परिशिष्ट 6.1* में दिया गया है।

6.1.7 31 मार्च 2011 को, राज्य सा क्षे उ में कुल निवेश का 99.99 *प्रतिशत* कार्यरत सा क्षे उ में एवं शेष 0.01 *प्रतिशत* गैर-कार्यरत सा क्षे उ में था। कुल निवेश में 59.20 *प्रतिशत* पूँजी तथा 40.80 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण था। यह निवेश वर्ष 2006-07 के ₹ 2725.17 करोड़ से 129.61 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 6257.24 करोड़ हो गया जैसा कि निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।



6.1.8 31 मार्च 2007 एवं 31 मार्च 2011 के अन्त में विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निवेश एवं उनके *प्रतिशत* निम्न बार चार्ट में दर्शाए गए हैं। यद्यपि मुख्य निवेश (62.02 *प्रतिशत)* विद्युत क्षेत्र में था, राज्य में निवेश का जोर मुख्यतः अवस्थापना क्षेत्र की ओर उन्मुख था जिसका *प्रतिशत* वर्ष 2006-07 के 1.27 *प्रतिशत* से बढ़कर 2010-11 में 33.13 *प्रतिशत* हो गया।



(कोष्ठकों में आँकड़े खण्डों में निवेश के कुल निवेश से प्रतिशत को दर्शाते हैं)

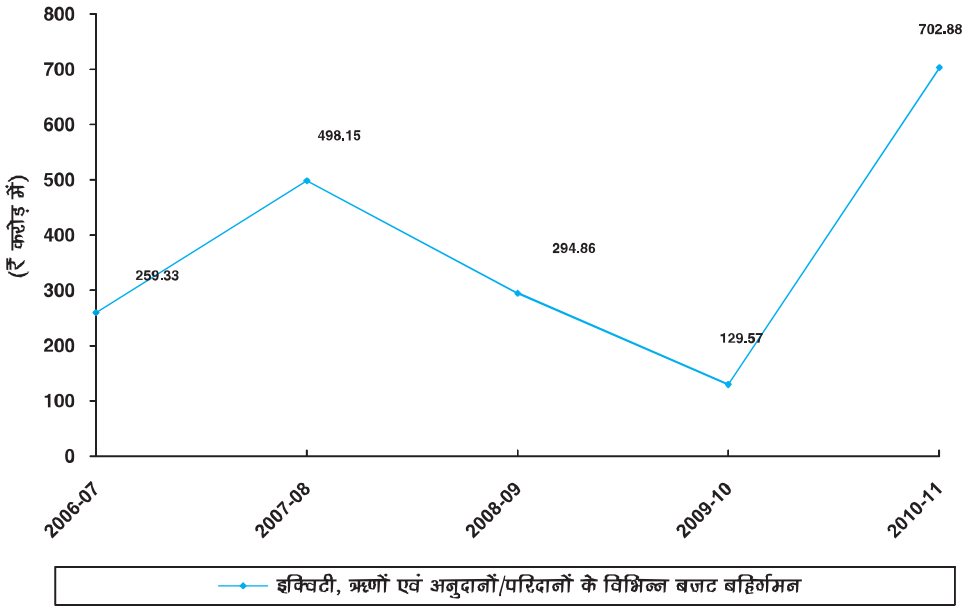
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियाँ एवं ऋण

6.1.9 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/उपदान हेतु बजट से बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट 6.2*** में दिया गया है। 2010-11 को समाप्त तीन वर्षों का सार तालिका - 6.1.3 में नीचे दिया गया है।

तालिका 6.1.3 *(₹ करोड़ में)*

क्र. सं.	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी बहिर्गमन	5	256.14	3	104.01	3	603.71
2.	बजट से दिए गए ऋण	5	36.55	2	24.32	3	65.70
3.	अनुदानों/उपदानों की प्राप्ति	2	2.17	6	1.24	3	33.47
4.	कुल बहिर्गमन (1 + 2 + 3)	-	294.86		129.57	5	702.88
5.	जारी की गई प्रतिभूतियाँ	1	3.15	2	277.54	2	279.98
6.	प्रतिभूति वचनबद्धता	2	1,143.15	3	1,428.81	3	289.75

6.1.10 इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन का पिछले पांच वर्षों का विवरण निम्न ग्राफ में दिया गया है:



राज्य की सा क्षे उ द्वारा इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 129.57 करोड़ से ₹ 702.88करोड़ के बीच था।

6.1.11 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष में प्रतिभूति वचनबद्धता ₹ 1143.15 करोड़, (दो सा क्षे उ) की थी, जो 31 मार्च 2010 को बढ़कर ₹ 1428.81 करोड़ (तीन सा क्षे उ) हो गयी तथा 31 मार्च 2011 को घटकर ₹ 289.75 करोड़ (तीन सा क्षे उ) तक हो गई। राज्य सरकार ने सभी सा क्षे उ से एक *प्रतिशत* की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षे उ से दो *प्रतिशत* की दर से प्रतिभूति शुल्क भारित किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान दो सा क्षे उ (पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड

लिमिटेड और उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) द्वारा ₹ 12.72 करोड़ के प्रतिभूति शुल्क राज्य सरकार को भुगतान किए गए।

वित्त लेखे के साथ मिलान

6.1.12 राज्य सा क्षे उ के अभिलेखे के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रतिभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2011 को इनकी स्थिति नीचे तालिका - 6.1.4. में दी गई है:

तालिका - 6.1.4 *(₹ करोड़ में)*

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षे उ के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	1289.34	3791.56	2502.22
ऋणों	448.80	2465.29	2016.49
प्रतिभूतियाँ	1309.00	289.75	1019.25

6.1.13 लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 सा क्षे उ के आँकड़ो में अन्तर था और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। राज्य सरकार एवं सा क्षे उ को अन्तरों के मिलान के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा क्षे उ की कार्यकुशलता

6.1.14 सा क्षे उ की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट 6.3*** में निर्दिष्ट हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सा क्षे उ के कुल कारोबार का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ की गतिविधियों के विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका 6.1.5 वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षे उ के कारोबार एवं राज्य स घ उ का विवरण प्रदर्शित करती है।

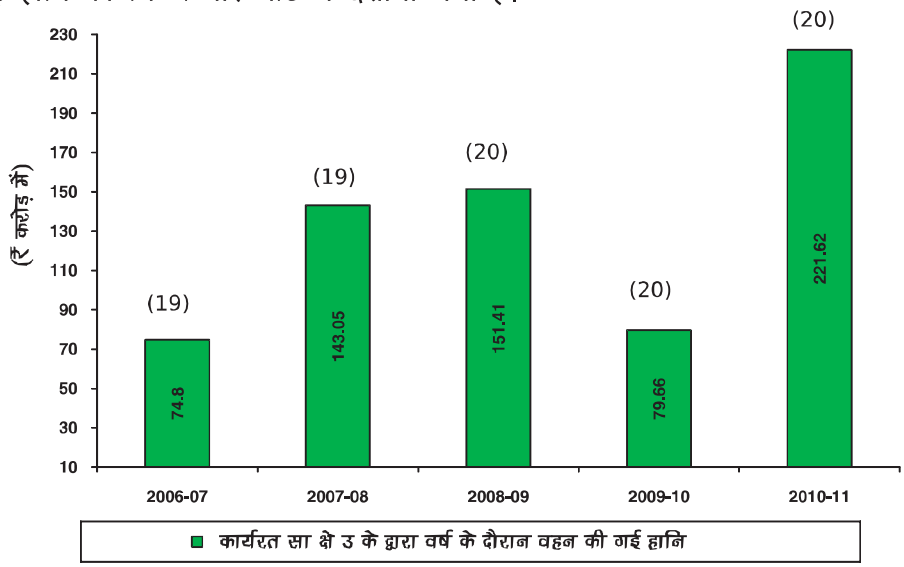
तालिका - 6.1.5 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कारोबार[4]	1,366.26	1,481.94	1,527.06	1,722.95	2,539.52
राज्य स घ उ	29,881.00	34,549.00	40,159.00	46,872.00	52,143.00
कारोबार का राज्य स घ उ से *प्रतिशत*	4.57	4.29	3.80	3.68	4.87

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) पर कारोबार का *प्रतिशत* 2006-07 से 2009-10 के दौरान घटते क्रम में प्रदर्शित हुआ तथा 2010-11 के दौरान इसने वृद्धि दर्शाई। यह मुख्यतः इस कारणवश हुआ कि सा क्षे उ के कारोबार राज्य के स घ उ की वृद्धि के साथ गति न बना पाई।

4 30 सितम्बर 2011 के नवीनतम अन्तिमकृत लेखो के अनुसार कारोबार।

6.1.15 वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में राज्य के कार्यरत सा क्षे उ को हुई हानि को निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।



(कोष्ठकों के आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के दौरान कार्यरत सा क्षे उ को दर्शाती हैं)

बार चार्ट से यह दृष्टिगत है कि कुल हानि वर्ष 2006-07 के ₹ 74.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 221.62 करोड़ हो गयी। वर्ष 2010-11 के दौरान 20 कार्यरत सा क्षे उ में से 09 सा क्षे उ ने ₹ 75.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 11 सा क्षे उ को ₹ 297.03 करोड़ की हानि हुई। स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 33.86 करोड़) एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 26.49 करोड़) लाभ अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षे उ थे। उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 243.05 करोड़), उत्तराखण्ड पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) (₹ 26.97 करोड़), उत्तराखण्ड परिवहन निगम (₹14.67 करोड़) और डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 9.17 करोड़) हानि उठानेवाले मुख्य सा क्षे उ थे।

6.1.16 सा क्षे उ को हानि मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजना के क्रियान्वयन, उनके परिचालन एवं अनुश्रवण की कमियों के कारण हुई। नि म ले की नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षे उ ने ₹ 2075.19 करोड़ की हानि वहन की एवं ₹ 9.29 करोड़ का अलाभकारी निवेश बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण निम्न तालिका - 6.1.6 में है।

तालिका - 6.1.6 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	योग
शुद्ध लाभ (हानि)	(-)151.41	(-) 79.66	(-) 221.62	(-) 452.72
नि म ले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ऐसी हानि जिनसे बचा जा सकता था	80.11	1,283.32	711.76	2075.19
अलाभकारी निवेश	3.00	-	6.29	9.29

6.1.17 नि म ले के प्रतिवेदनों में इंगित की गई उक्त हानि सा क्षे उ के अभिलेख की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक रूप से ऐसी हानि जिनसे बचा जा सकता था और अधिक होंगी। उक्त सारणी दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से हानि को कम किया जा सकता है। यदि सा क्षे उ वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों तो वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकती है। उपर्युक्त स्थिति सा क्षे उ की कार्यप्रणाली में व्यवसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

6.1.18 राज्य सा क्षे उ से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय परिसीमाएं नीचे तालिका - 6.1.7 में दिए गए हैं।

तालिका - 6.1.7 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (*प्रतिशत में*)	11.40	-	-	0.96	0.98
ऋण	1950.91	2356.08	2387.65	2588.39	2,465.29
कारोबार[5]	1366.26	1481.91	1527.06	1722.95	2,539.52
ऋण/कारोबार अनुपात	1.43:1	1.59:1	1.56:1	1.50:1	0.97:1
ब्याज अदायगियाँ	304.16	158.78	156.53	124.82	271.63
संचित लाभ (हानि)	(-)168.20	(-)291.71	(-) 283.60	(-) 420.39	(-) 807.79

(कारोबार के अन्तर्गत दर्शाए गए आँकड़े जो केवल कार्यरत सा क्षे उ के हैं, को छोड़कर अन्य आँकड़े सभी सा क्षे उ से सम्बन्धित हैं)

6.1.19 यह देखा जा सकता है कि ऋण के आँकड़े 2006-07 से 2009-10 के दौरान बढ़ते क्रम में रहे परन्तु 2010-11 में मामूली सी गिरावट आई तथा ऋण-कुल ब्रिकी अनुपात 2006-07 में 1.43:1 से घटकर 2010-11 में 0.97:1 हो गया था क्योंकि कारोबार वृद्धि दर ऋण वृद्धि दर से आगे बढ़ गयी थी। सभी सा क्षे उ की नियोजित पूँजी पर संचयी प्रतिफल का *प्रतिशत* 2006-07 में 11.40 रहा और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में ऋणात्मक रहा जो कि सुधरकर 2009-10 में प्रतिफल का 0.96 *प्रतिशत* और 2010-11 में 0.98 *प्रतिशत* दर्ज किया गया। संचित हानि 2006-07 के ₹ 168.20 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 807.79 करोड़ हो गई।

6.1.20 राज्य सरकार ने सा क्षे उ के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सा क्षे उ के लिए राज्य सरकार को एक न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। इनके नवीनतम अन्तिमकृत लेखे के अनुसार नौ सा क्षे उ ने ₹ 75.41 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, परन्तु लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

लेखे के अन्तिमकरण में बकाया

6.1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-ब के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक

[5] कार्यरत कम्पनियों के कारोबार उनके 30 सितम्बर 2011 तक के नवीनतम अन्तिमकृत लेखे के अनुसार।

निगमों के मामले में उनके लेखे को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं विधायिका को प्रस्तुत करना, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षे उ के द्वारा सितम्बर 2011 तक लेखे को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण निम्न तालिका 6.1.8 में दर्शायी गई है:

तालिका - 6.1.8

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या	19	19	20	20	20
2.	वर्ष में अन्तिम रूप दिये गये लेखे की संख्या	15	10	13	12	28
3.	बकाया लेखे की संख्या	119	128	135	143	135
4.	प्रत्येक सा क्षे उ के अनुसार औसत बकाया (3/1)	6.26	6.74	6.75	7.10	6.75
5.	कार्यरत सा क्षे उ जिनके लेखे बकाया हैं	19	19	20	20	19
6.	बकाए की अवधि	1 से 20 वर्ष	1 से 21 वर्ष	1 से 22 वर्ष	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष

6.1.22 जैसा कि उक्त सारणी से स्पष्ट है, अंतिम रूप दिये गये लेखे का बकाया 2006-07 के दौरान 119 से बढ़कर 2009-10 में 143 हो गया किन्तु 2010-11 में घटकर 135 हो गया। यह देखा जा सकता है कि, विगत चार वर्षों 2006-07 से 2009-10 के दौरान राज्य सा क्षे उ औसतन कम से कम एक लेखा प्रति सा क्षे उ को भी पूर्ण करने में असफल रही है। सा क्षे उ द्वारा लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी का मुख्य कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी बतायी गयी। राज्य सा क्षे उ को पिछले लेखे को अंतिम रूप दिये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिससे लेखे को अद्यतन किया जा सके।

6.1.23 इसके अतिरिक्त, अकार्यरत सा क्षे उ के लेखे भी अंतिम रूप दिये जाते हेतु बकाया थे। चार अकार्यरत सा क्षे उ में से, एक परिसमापन की प्रक्रिया मे थी तथा शेष तीन अकार्यरत सा क्षे उ के लेखे 21 से 24 वर्षों के लिए बकाया थे।

6.1.24 राज्य सरकार ने वर्ष 2002-03 से 2010-11 के दौरान पाँच सा क्षे उ में ₹ 1216.43 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटी: ₹ 866.04 करोड़, ऋण: ₹ 323.92 करोड़ तथा अनुदान/उपदान ₹ 26.47 करोड़), जिनके लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, उनका विवरण ***परिशिष्ट 6.4*** में दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के उल्लंघन के अतिरिक्त लेखे को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी एवं लोकधन के दुरूपयोग होने का जोखिम हो सकता है।

6.1.25 प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि इन ईकाईयों की क्रियाकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन सा क्षे उ के लेखे को निर्धारित समय सीमा में अन्तिम रूप दिया जाये तथा स्वीकार किये जायें। प्रधान महालेखाकार (प्र म

ले) लेखे के अन्तिम रूप दिये जाने में बकाए की स्थिति को प्रशासनिक विभागों तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों के ध्यान में, प्रत्येक तिमाही में लाया गया। यह पाया गया कि कार्यरत सा क्षे उ के लेखे के अन्तिम रूप देने में बकाए 2006-07 में 119 से बढ़कर 2010-11 में 135 हो गए, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन सा क्षे उ के शुद्ध मूल्य का आकलन नहीं किया जा सका। प्र म ले ने पुराने बकाया लेखे को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए इस मुद्दे को मुख्य सचिव/वित्त सचिव उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष भी उठाया था।

अकार्यरत सा क्षे उ का समापन

6.1.26 31 मार्च 2011 को चार अकार्यरत सा क्षे उ थे। इनमें से एक सा क्षे उ ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है।

6.1.27 अकार्यरत सा क्षे उ के बन्द होने के चरणों को नीचे दी गई तालिका 6.1.9 में दिया गया है:

तालिका - 6.1.9

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	कुल अकार्यरत सा क्षे उ ज	04	-	04
2.	उक्त (1) में से निम्न संख्या	-	-	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01	-	01
(ब)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(स)	बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03	-	03

6.1.28 वर्ष 2010-11 के दौरान कोई भी कम्पनी/निगम बन्द नहीं हुए। एकमात्र कम्पनी जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया है वह 20 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन में थी। कम्पनी अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक बन्दीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र है तथा इसे सशक्त रूप से अपनाने/अनुसरण करने की आवश्यकता है।

लेखा टिप्पणियाँ और आन्तरिक लेखापरीक्षा

6.1.29 वर्ष 2010-11 के दौरान 12 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 18 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार (प्र म ले) को अग्रेषित किए। 30 सितम्बर 2011 तक 16 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा दो कम्पनियों को लेखापरीक्षा हेतु चयन न करने का गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखे के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षको और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे तालिका - 6.1.10 में दिया गया है।

तालिका - 6.1.10 *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	93.50	4	168.70	7	174.57
2.	हानि में वृद्वि	4	131.16	7	16.19	7	247.12
3.	आर्थिक तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	3	2.47	3	169.52	6	1251.59

6.1.30 वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी 18 लेखों को अर्हता प्रमाणपत्र प्रदान किए।

6.1.31 कम्पनियों के लेखे पर कुछ मुख्य टिप्पणियों को नीचे दिया गया है।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2008-09)

- भा जी बी नि के ऋण रकम पर मूल धन तथा ब्याज की वापसी में चूक के लिए दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप अनारक्षित ऋण, देय ब्याज का अधोविवरण तथा ₹ 3.25 करोड़ के लाभ का अधिविवरण हुआ।
- सोबला - II परियोजना, जो एन.एच.पी.सी परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गयी, पर किया गया व्यय ₹ 1.63 करोड़ का प्रावधान न किये जाने के कारण उतनी ही राशि के चालू पूँजीगत कार्य में तथा लाभ प्रत्येक को ₹ 1.63 करोड़ का अधिविवरण दर्शाया गया।
- उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग को 2001 से मार्च 2009 की अवधि का जारी ₹ 9.44 करोड़ के विद्युत शुल्क देयक, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप लाभ के साथ-साथ विविध देनदार मद में उतनी की राशि का अधिविवरण दर्शाया गया।
- उत्तराखण्ड सरकार को देय दण्डात्मक गारन्टी शुल्क का प्रावधान न किए जाने के कारण चालू देयताओं का अधोविवरण तथा ₹ 34.12 करोड़ के लाभ का अधिविवरण हुआ।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2007-08)

- सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क का प्रावधान न होने के कारण हानि तथा चालू देयताएं मद में ₹ 5.20 करोड़ का अधोविवरण दर्शाये गए।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निर्गमित कर-मुक्त पावर बॉण्ड्स पर वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए ब्याज के दायित्व का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विविध लेनदार एवं हानि में ₹ 97.24 करोड़ का अधोविवरण दर्शाया गया।

6.1.32 उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, जिसकी लेखापरीक्षा नि म ले को नि म ले (डी.पी.सी) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अनुसार सौंपी गयी, के सात वर्ष (2003-04 से 2009-10) के लेखे को वर्ष 2010-11 के दौरान अन्तिम रूप दिया गया। दूसरा सांविधिक निगम उत्तराखण्ड परिवहन निगम, जिसके नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, के वर्ष 2010-11 में तीन लेखाकरण वर्षों (2006-07 से 2008-09) के लेखे के लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे तालिका - 6.1.11 में दिया गया है:

तालिका - 6.1.11 *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखे की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	5	40.84
2.	हानि में बढोतरी	1	0.23	1	2.11	5	5.25
3.	आर्थिक तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	-	-	-	-	3	23.73
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	-	-	1	370.30	-	-

6.1.33 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नलिखित है:

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (2009-10)

- उत्तराखण्ड सरकार से वर्ष 2002-03 से 2008-09 के दौरान ₹ 21.02 करोड़ के ऋण पर ₹ 12.61 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं का अधोविवरण तथा ₹ 12.61 करोड़ के अधिक्य का अधिविवरण दर्शाया गया।
- उ प्र जल निगम को देय ₹ 0.90 करोड़ (वर्ष 2006-07 तक) के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं का अधोविवरण तथा आधिक्य ₹ 0.90 करोड़ का अधिविवरण दर्शाया गया।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (2008-09)

- निगम द्वारा अवकाश नगदीकरण एवं अन्य सेवानिवृति लाभों (उपादान और पेंशन) का लेखाकरण वास्तविक आधार ए एस 15 के बजाय नगद भुगतान के आधार पर किया गया।
- निगम द्वारा सा भ नि से प्राप्त ब्याज ₹ 3.23 करोड़ को अपनी आय के रूप में दर्शाया गया, जो लेखा नियम/प्रचलन के विरूद्ध है। ब्याज पर प्राप्त आय को पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए था।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम (2007-08)

- कर्मचारियों के सांविधिक लाभों का लेखांकन का वास्तविक मूल्यांकन वांछित ए एस 15 के आधार पर प्रावधान नहीं किया गया।

6.1.34 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टेड अकाउटेंट) को आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहाँ सुधार की आवश्यकता है आवश्यक था। वर्ष 2010-11 में सात कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र में संभावित सुधारों पर की गई मुख्य टिप्पणियों का व्याख्यात्मक ब्यौरा नीचे तालिका - 6.1.12 में दिया गया है:

तालिका - 6.1.12

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रकार	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गई	*परिशिष्ट-6.3* के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	2	A 14, 15
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का अभाव	5	A 4, 10, 13, 14 एवं 17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियाँ, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, परिसम्पत्तियों की मूल्य ह्रास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूर्ण विवरण को दिखाने वाले अभिलेख का रख रखाव न करना	2	A 2 एवं 10
4.	ऊर्जा की बिक्री पर आन्तिरिक नियंत्रण की कमी	1	A13

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

6.1.35 नि म ले द्वारा सांविधिक निगमों के लेखे पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्र) को सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतिकरण की स्थिति को नीचे तालिका - 6.1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका - 6.1.13

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्र विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्र विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए		
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के कारण
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

पृ ले प प्र के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब सांविधिक उपक्रमों पर विधायिका के नियन्त्रण को कमजोर करती है, तथा उन उपक्रमों की वित्तीय जवाबदेयता भी कम हो जाती है। सरकार को पृ ले प प्र का विधायिका में शीघ्र प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

6.1.36 राज्य सरकार ने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी थी।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत सितम्बर 2002 को गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) का उद्देश्य विद्युत दरों को तर्कसंगत बनाना, राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण एवं वितरण से संबंधित मामलों में परामर्श देना तथा लाइसेंस जारी करना है। 2009-10 के दौरान उ वि नि आ द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर दो आदेश तथा अन्य मदों पर नौ आदेश जारी किये गए।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

6.2 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड - ऊर्जा वितरण उपयोज्यता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) उत्तराखण्ड में ऊर्जा वितरण का कार्य करता है जिसे 12/02/2001 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समामेलित किया गया था। 31 मार्च, 2011 को राज्य के पास 0.88 लाख सर्किट किलो मीटर लाईनों (स कि मी) का (33/11 के वी एवं एल टी), 262 उपकेन्द्र एवं 64,164 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों (डी टी आर) का संजाल था, जो 15.26 लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता था।

वितरण संजाल योजना

वर्ष 2006-07 से 2010-11 में कम्पनी ने उपकेन्द्रों की वृद्धि की कोई भी योजना नहीं बनाई थी। यद्यपि, कम्पनी ने इस अवधि के दौरान 62 उपकेन्द्रों की वृद्धि की। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच सम्बद्ध भार में 2337 एम डब्ल्यू से 3739 एम डब्ल्यू (1752.5 एम वी ए) की वृद्धि हुई, डी टी आर क्षमता में 1617 एम वी ए से 2186 एम वी ए (569 एम वी ए) की वृद्धि सम्बद्ध भार में वृद्धि की तुलना में वितरण क्षमता की मन्द वृद्धि को दर्शाती है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

रा गा ग्रा वि योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने 665 ग्रामों का विद्युतीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 591 ग्रामों का विद्युतीकरण किया। वर्ष 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कम्पनी आवंटित निधियों का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर सकी। मार्च 2011 तक कम्पनी ने 2.28 लाख बी पी एल संयोजनों के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1.92 लाख संयोजनों को जारी कर सकी। छः जिलों में बी.पी.एल. संयोजनों पर कम्पनी ने ₹ 212.81 लाख अतिरिक्त व्यय किया। मोबलाइजेसन अग्रिम पर के स आ के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर कम्पनी को ₹ 8.22 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। कम्पनी पायलट क्षेत्र (देहरादून) एवं एक अतिरिक्त पायलट क्षेत्र (विकासनगर) में आई.टी. कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकी थी परिणामस्वरूप सं त्व ऊ वि सु कायोजना भाग-ए के कार्यान्वयन में देरी हुई थी।

ऊर्जा लेखा परीक्षा

कम्पनी ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स की मीटरिंग के पूर्ण न होने के कारण ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं किया था।

परिचालन कार्यकुशलता

उ वि नि आ मानकों के तुलना में अत्यधिक उप संचारण एवं वितरण हानियों के कारण कम्पनी को ₹ 600.70 करोड़ की राजस्व हानि हुई। रख-रखाव की कमी एवं रूपान्तरण क्षमता तथा संयोजित भार के बीच भारी अंतर के परिणामस्वरूप वितरण प्रणाली में ओवरलोडिंग, वितरण ट्रान्सफॉर्मर (डी टी आर्स) की असफलता तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की हानि हुई।

अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2010 के दौरान विभिन्न क्षमता के 1280 डी टी आर खराब हुए, जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई और रानीखेत वृत में पड़े रहे। भारतीय विद्युत नियम, 1956 के धारा 64 (2)(ई)(iv) के अनुसार कम्पनी ने आवश्यक ड्राई किस्म के डी टी आर की अधिप्राप्ति नहीं की थी।

वित्तीय स्थिति

संचित हानि वर्ष 2006-07 के ₹ 616.27 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 1960.11 करोड़ हो गई, जो कि 31 मार्च 2011 के कुल निबल ₹ 2038.39 करोड़ के लगभग समान है।

बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण क्षमता

मार्च 2011 के अन्त में कम्पनी के प्राप्य ऋण ₹ 1816.75 करोड़ थे।

दोषी उपभोक्ताओं से ₹ 41.27 करोड़ की राशि प्राप्य थी जिसके लिए नोटिस जारी किए गए थे तथा वसूली होना अभी शेष है।

मार्च 2011 को, क्रमशः 588 उपभोक्ताओं (सभी सरकारी वर्ग) एवं 672 उपभोक्ताओं (वाणिज्यक एवं औद्योगिक) के विरूद्ध आरंम्भिक प्रतिभूति राशि का ₹ 1.77 करोड़ एवं अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का ₹ 24.96 करोड़ की वसूली शेष थी।

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान, कम्पनी ने 16412 व्यक्तिगत ट्यूब वैल/पम्प उपभोक्ताओं से ₹ 2.44 करोड़ की विद्युत प्रभार की राशि भारित करने में असफल रही।

वित्तीय प्रबन्धन

पिटकुल को परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर कम्पनी, उत्तराखण्ड सरकार से ₹ 188.81 करोड़ वसूल नहीं कर सकी। समामेलन के समय से ही कम्पनी के पास आकंलित ₹ 14.52 करोड़ का अवशिष्ट एवं निष्प्रयोग सामग्री पड़ी थी एवं अभी तक निपटान नहीं किया गया है।

शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण

कम्पनी के पास लक्ष्यों के अनुपालनार्थ एवं वितरण प्रणाली के कार्यक्षमता मापदण्डों के अनुश्रवण हेतु कोई उचित पद्धति नहीं है।

आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण तंत्र अपर्याप्त थी क्योंकि कम्पनी वितरण हानि को रोकने एवं बकायों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने में असफल रही।

प्रस्तावना

6.2.1 विद्युत हमारे जीवन के सभी पहलूओं के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह मानव की बुनियादी जरुरत के रूप में जानी गयी है। यह एक जटिल बुनियादी ढ़ांचा है, जिस पर देश का सामाजिक आर्थिक विकास निर्भर करता है। ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि इसे यथोचित दर पर विद्युत आपूर्ति की जाए। समान रूप से आवश्यक है कि भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एवं रोजगार सृजन की वृहत क्षमता के दोहन हेतु इसे योग्य बनाने के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की प्रतिस्पर्धात्मक दर की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा है। विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता इस क्षेत्र के सतत् विकास के लिए अति निर्णायक है।

यह पहचान करके कि विद्युत, तीव्र आर्थिक वृद्धि एवं गरीबी उल्मूलन के प्रमुख घटकों में से एक है, राष्ट्र ने स्वयं आगामी पाँच वर्षों में सभी घरों के लिए विद्युत की पहुँच बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वितरण क्षेत्र पर मुख्य मापदण्ड़ों की उपलब्धि की बड़ी जिम्मेदारी है। वितरण कम्पनियाँ लोगों एवं घरों के साथ सम्पर्क का प्रथम बिन्दु है। विद्युत क्षेत्र के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति जिसमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं तक विद्युत की पहुँच, कुशल तरीके से एवं यथोचित दरों पर निश्चित मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की

आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण वितरण क्षेत्र में निहित है। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वितरण कम्पनी का वित्तीय एवं वाणिज्यिक सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

उत्तराखण्ड में विद्युत सुधार एवं विद्युत दृश्यलेख

6.2.2 उत्तर प्रदेश के दो भागों में विभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9.11.2000 को हुआ था। उत्तराखण्ड में विद्युत के संचारण एवं वितरण का व्यवसाय उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के द्वारा किया जा रहा था, जिसको उत्तराखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत, 12 फरवरी, 2001 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित किया गया था। 1 जून, 2004 को राज्य के 132 के.वी. एवं अधिक के संचारण लाइनों एवं उप-केन्द्रों के रख-रखाव एवं परिचालन हेतु पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) का गठन हुआ था।

उत्तराखण्ड में विद्युत आपूर्ति के अनिवार्य मापदण्ड

6.2.3 2006-11 की पाँच वर्षीय समयावधि के दौरान 86.59 *प्रतिशत* बढ़ोत्तरी दर्ज करते हुए वर्ष 2006-07 में 3885.90 एम.यू से वर्ष 2010-11 में 7250.68 एम.यू. ऊर्जा की बिक्री की बढ़ोत्तरी हुई है। 31 मार्च 2011 को राज्य के पास 0.88 लाख सर्किट किलो मीटर (सी.के.एम) लाइनों (33/11 के.वी एवं एल.टी); 262 सब-स्टेशन, विभिन्न वर्ग के 46164 ट्रान्सफार्मर (डी.टी.आर) का वितरण संजाल था। उपभोक्ताओं की संख्या 15.26 लाख थी। वर्ष 2010-11 में कम्पनी का कारोबार ₹ 2641.72 करोड़ का था, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 5.07 *प्रतिशत* के बराबर था। 31 मार्च, 2011 को कम्पनी में 4327 कार्मिक कार्यरत थे।

विद्युत क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा

6.2.4 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उत्तराखण्ड सरकार पर अपने प्रतिवेदन में कम्पनी पर "त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मलित किया था। प्रतिवेदन पर अभी कोपू में विचार होना बाकी हैं। यह निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड में ऊर्जा वितरण कम्पनी के कार्यकलापों पर की गयी है।

लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं क्रियाविधि

6.2.5 कम्पनी का वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में कम्पनी की कार्यकुशलता को सम्मिलित करते हुए अप्रैल से अक्टूबर, 2011 के दौरान संपादित किया गया था। मुख्य रूप से निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र नेटवर्कयोजनाएं एवं कार्यान्वयन, केन्द्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन, परिचालन कुशलता, बिलिंग एवं संग्रहण कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबन्धन, उपभोक्ता की सन्तुष्टि, ऊर्जा संरक्षण एवं अनुश्रवण है। लेखापरीक्षा परीक्षण में मुख्यालय और 65 खण्डों में से 17 के अभिलेख की जाँच शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा हेतु इन परिचालित

इकाईयों का चयन जोखिम निर्धारण एवं राजस्व संग्रहता के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्श्यों की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी कार्यविधि में, शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों को बतलाना, मुख्यालय एवं चयनित इकाईयों में अभिलेख की जाँच, लेखापरीक्षित इकाई के कार्मिकों के साथ बातचीत, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के सन्दर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाना, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रबन्धन के साथ विचार-विमर्श तथा मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रबन्धन को उनके विचार जानने के लिए निर्गमित करना, शामिल है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

6.2.6 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में यह आंकलन करना था कि :-

- राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया गया एवं वितरण सुधारों को लागू किया गया था;
- नेटवर्क योजना की प्रर्याप्तता एवं प्रभावशीलता और इसका कार्यान्वयन।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा गा ग्रा वि यो) एवं संशोधित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (सं त्व ऊ वि सु का) जैसी केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने में कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता;
- राज्य के उपभोक्ताओं की ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने में संचालन कार्यकुशलता;
- उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व की बिलिंग व संग्रहण कुशलता;
- वित्तीय प्रबन्धन की प्रभावशीलता;
- क्या ऊर्जा संरक्षण हेतु कदम उठाये गये थे एवं
- क्या प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली उपस्थित थी तथा कार्यशैली की कार्यकुशलता को सुधारने में इसका उपयोग किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

6.2.7 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आंकलन हेतु अपनाए गए मापदण्ड यह थे किः

- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान;
- राष्ट्रीय विद्युत योजना में निर्धारित विभिन्न मापदण्डों की प्राप्ति;
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) द्वारा नियत निष्पादन मापदण्ड;
- केन्द्रीय योजनाओं के दस्तावेजों में शामिल नियम एवं शर्तें;
- परिचालन क्रियाकलाप के सम्बन्ध में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा निर्धारित मानक;
- ठेका प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रियाएँ तथा कम्पनी के परिचालन सम्पन्न करने में मितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता के सिद्धान्त;
- तकनीकी एवं गैर तकनीकी हानि का मानक;
- राज्य सरकार/उ वि नि आ के दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.8 11 अप्रैल, 2011 को कम्पनी की 'प्रवेश गोष्ठी' के दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के बारे में कम्पनी को बताया गया। तत्पश्चात्, दिसम्बर 2011 को कम्पनी तथा राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रतिवेदित किए गए तथा उन पर 6 जनवरी 2012 को सम्पन्न 'निर्गम गोष्ठी' में चर्चा की गई। अन्तिम बैठक में प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परिचालन) निदेशक (परियोजना) एवं कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक) उपस्थित थे। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय उनके विचारों पर भी ध्यान दिया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के प्रस्तरों में विचार किया गया है।

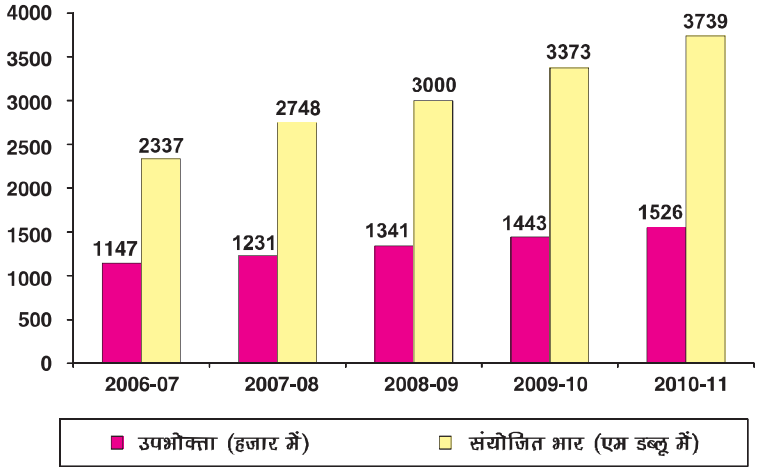
वितरण नेटवर्क योजना

6.2.9 राष्ट्रीय विद्युत नीति निम्नांकित उद्श्यों को बताने के लिए बनायी गयी थीः

- विद्युत की उपलब्धता - 2005 से आगामी पांच वर्षों में सभी घरों तक बिजली की उपलब्धता।
- विश्वसनीय एवं विहित मापदण्डो के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की आपूर्ति कुशल एवं उचित दरों पर करना।

सभी को विद्युत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को राज्य में अधिकतम जनसंख्या को बिजली उपलब्ध हो, कुशल विद्युत वितरण की सुविधा के साथ दीर्घावधिक/वार्षिक योजना हेतु बुनियादी सुविधाएं तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कम्पनी को विद्यमान नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है और नये संयोजनों एवं मांग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए वितरण के नेटवर्क का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने अपने वितरण नेटवर्क की वृद्धि हेतु कोई योजना नहीं बनायी थी।

6.2.9.1 उपभोक्ताओं एवं संयोजित भार (एम डब्ल्यू में) का विश्लेषण निम्नांकित चार्ट में दर्शाया गया हैः



पूरे राज्य में नियोजित वितरण नेटवर्क का लक्ष्य एवं इनकी प्राप्तियों का विवरण *परिशिष्ट 6.5* में दर्शाया गया है।

6.2.9.2 वर्ष 2006-07 के आरम्भ में कम्पनी के पास 1617 एम वी ए क्षमता के साथ 200 33/11 के वी के उपकेन्द्र थे। वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में कम्पनी ने उपकेन्द्र की वृद्धि की कोई भी योजना नहीं बनाई थी। यद्यपि, इसके द्वारा 569 एम वी ए के 62, 31/11 के वी उपकेन्द्रों की बढ़ोत्तरी की गई, जिससे 2186 एम वी ए की क्षमता वृद्धि (2010-11) हुई। उक्त वृद्धि, उस संयोजित भार वृद्धि को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थी, जो वर्ष 2006-07 के 2337 एम वी से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 3739 एम वी (पावर फैक्टर 0.80 पर 4674 एम वी ए के समतुल्य) हुई। जिसमे 59.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार वितरण क्षमता में वृद्धि संयोजित भार तथा उपलब्ध क्षमता की वृद्धि गति के समानुपातिक नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप वितरण नेटवर्क में निरन्तर विफलता तथा ऊर्जा पूर्ति में व्यवधान के साथ ट्रान्सफॉर्मरों में ओवरलोडिंग की समस्या रही। इससे ट्रान्सफॉर्मरों की विफलता दर उच्च रही। आयोजना पर कुछ टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है।

अपर्याप्त रूपान्तरण क्षमता

6.2.10 ट्रान्सफॉर्मर एक ऐसी स्थिर यंत्र है जो विद्युत संचारण और वितरण में वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने के लिए स्थापित किया जाता है। संचारण कम्पनियों के प्रारम्भिक उपकेन्द्रों से प्राप्त ऊर्जा उच्च बोल्टेज (132 के वी, 66 के वी, 33 के वी) से वितरण कम्पनियों के (11 के वी) 33/11 के वी पर उपकेन्द्र में इसको उपभोक्ताओं के प्रयोग योग्य बनाने के लिए परिवर्तित होती है। सभी संयोजित भार को फैलाने के लिए ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए। रूपान्तरण क्षमता का संयोजित भार से आदर्श अनुपात 1:1 है।

तलिका-6.2.1 वर्ष 2006-11 की अवधि में राज्य में 33/11 के.वी.स्तर के उपकेन्द्रों में उपभोक्ताओं का संयोजित भार एवं ट्रान्सफार्मेशन क्षमता को दर्शाता हैः

तालिका 6.2.1 *(एम वी ए में)*

वर्ष	रूपान्तरण क्षमता	संयोजित भार	रूपान्तरण क्षमता में अंतर	रूपान्तरण क्षमता से संयोजित भार का अनुपात
2006-07	1859	2921	1062	1:1.57
2007-08	2001	3435	1434	1:1.72
2008-09	2100	3750	1650	1:1.79
2009-10	2162	4216	2054	1:1.95
2010-11	2186	4674	2488	1:2.14

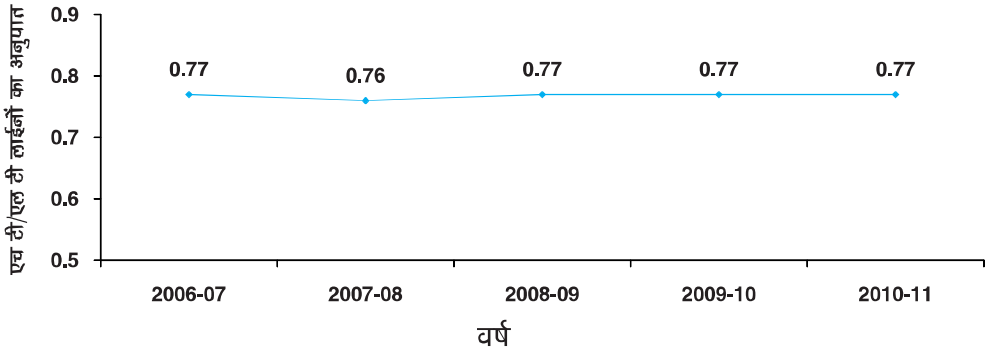
(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से संकलित)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रूपान्तरण क्षमता से कुल संयोजित भार का अनुपात 1:1.57 से 1:2.14 की सीमा में है। रूपान्तरण क्षमता में बड़े अन्तर के परिणामस्वरूप प्रणाली में ओवरलोडिंग और लगातार ट्रिपिंग, प्रतिकूल वोल्टेज नियमन एवं उच्च ऊर्जा हानि हुई।

6.2.11 तकनीकी हानि, चोरी की रोकथाम में कमी लाने एवं वोल्टेज व अच्छी उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली एक प्रभावी ढंग है। भारत सरकार ने (फरवरी, 2001) में वितरण हानि को कम करने के लिए वर्तमान एल टी लाईनों को एच टी लाईनों में परिवर्तित करके वितरण की एल टी विहीन प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 में भी बताया गया कि तकनीकी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए वितरण कम्पनियों को एल टी/एच टी के अनुपात को तत्परता के साथ कम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

एल टी विहीन प्रणाली का कार्यान्वयन

6.2.12 कम्पनी के निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एच टी-एल टी के अनुपात को ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है:



उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-11 के दौरान कम्पनी का एच टी/एल टी का अनुपात औसत लगभग 0.76 से 0.77 तक रहा। संचारण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए कम्पनी को एच टी/एल टी लाइनों की बराबर लम्बाई हेतु योजना बनानी चाहिए थी। वर्ष 2006-11 के दौरान, कम्पनी ने अपने नेटवर्क में एच टी एवं एल टी लाईनों में क्रमशः 8964 सी के एम एवं 11278 सी के एम की बढ़ोतरी की थी। उपरोक्त ग्राफ से यह दर्शित है कि एच टी एवं एल टी का अनुपात स्थिर रहा एवं एल टी लाईनों को एच टी लाइनों में परिवर्तित करने हेतु कम्पनी ने कोई भी प्रयास नहीं किया था।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण विद्युतीकरण

6.2.13 जैसा कि विद्युत अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित है कि ऊर्जा क्षेत्र के विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना है। 2005 से प्रारंभ आगामी पांच वर्षों में सभी घरों को विद्युत प्रदान करने के कार्य के क्रियान्वयन हेतु भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा वि नि) एक नोडल एजेंसी

के रूप में कार्यरत है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा गा ग्रा वि यो) को ग्रा वि नि द्वारा इस उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया कि सभी ग्रामों एवं निवास क्षेत्रों को विद्युत प्रदान की जाए।

2004-05 से ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार, एक ग्राम विद्युतीकृत तब घोषित किया जायेगा यदि,

(अ) निवास क्षेत्रों एवं दलित बस्ती उपग्राम जहाँ विद्यमान हो वहाँ ट्रान्सफॉर्मर एवं वितरण लाईन जैसे बुनियादी ढांचा हो

(ब) सार्वजनिक स्थलों जैसे-स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केन्द्रों को विद्युत प्रदान की जाये।

(स) ग्रामों के घरों की कुल संख्या का 10 *प्रतिशत* विद्युतीकृत होने चाहिए।

6.2.13.1 31 मार्च, 2006 को, राज्य में 15761 ग्रामों (2001 की जनगणना के अनुसार) में से 14834 ग्राम (94.12 *प्रतिशत)* विद्युतीकृत थे । वर्ष 2006-07 से 2010-11 की समयावधि के दौरान रा गा ग्रा वि योजना के अन्तर्गत ग्रामों में विभिन्न बी पी एल घरों के विद्युतीकरण का वर्षवार लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका-6.2.2 में दर्शाया गया हैः

तालिका- 6.2.2 *(संख्या में)*

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में कुल विद्युतीकृत ग्राम	वर्ष के दौरान विद्युतीकरण हेतु दिया गया लक्ष्य	वर्ष के दौरान विद्युतीकृत ग्राम	वर्ष के अन्त में कुल विद्युतीकृत ग्राम	वर्ष के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति का *प्रतिशत*
2006-07	14834	324	324	15158	100.00
2007-08	15158	187	158	15316	84.49
2008-09	15316	93	63	15379	67.74
2009-10	15379	47	33	15412	70.21
2010-11	15412	14	13	15425	92.86

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित)

यह देखा गया किः-

- वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान, मात्र 2006-07 में विद्युतीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। 2007-08 से 2010-11 की अवधि में प्राप्त लक्ष्यों की प्रतिशतता 67.74 से 92.86 के बीच रही थी।
- रा गा ग्रा वि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान कम्पनी ने राज्य में 665 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष 591 गैर-विद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत किया था।
- 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 927 गैर- विद्युतीकृत ग्रामों में से कम्पनी ने रा गा ग्रा वि, योजना के अन्तर्गत 665 ग्रामों (71.74 *प्रतिशत)* के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा। लक्ष्य के विरूद्ध कम्पनी मात्र 591 ग्रामों का विद्युतीकरण कर सकी थी जो लक्ष्य का 88.87 *प्रतिशत* था।

रा गा ग्रा वि यो की वित्तीय कार्यकुशलता

6.2.13.2 ग्रा वि नि ने राज्य मे ग्रामों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु ₹ 658 करोड़ की स्वीकृति (अप्रैल 2005) प्रदान की थी जिसे संशोधित करते हुए ₹ 760.14 कर दिया था (जुलाई, 2009)। प्राप्त निधि मे 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण शामिल है। पी पी एम संयोजनों के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण कम्पनी पूरे स्वीकृत राशि ₹ 760.14 करोड़ का भुगतान प्राप्त न कर सकी। इसने मार्च 2011 तक ₹ 660.77 करोड़ की अनुपातिक राशि ही प्राप्त किया। शेष ₹ 99.37 करोड़ की राशि शेषबी पी एम संयोजनों के पूर्ण होने पर ही अवमुक्त की जायेगी। 31 मार्च, 2011 तक योजना के अन्तर्गत वर्षवार निधि की स्थिति एवं उसके सापेक्ष में उपयोग नीचे तालिका-6.2.3 में दर्शाया गया है:

सारणी 6.2.3 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	निधि का उपयोग	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त निधि
2005-06	--	59.44	59.44	79.98	(-)20.54
2006-07	(-)20.54	198.50	177.96	223.63	(-)45.67
2007-08	(-)45.67	212.83	167.16	155.48	11.68
2008-09	11.68	78.62	90.30	97.79	(-)7.49
2009-10	(-)7.49	102.06	94.57	69.96	24.61
2010-11	24.61	9.32	33.93	28.97	4.96

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों पर सूचना संकलित)

लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया कि:

- वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2008-09 के दौरान कम्पनी ने ग्रा वि नि से प्राप्त निधि से अधिक राशि व्यय की थी।
- वर्ष 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण प्राप्त निधि के सापेक्ष में उपयोग की गई राशि कम थी;

रा गा ग्रा वि योजना के कार्यान्वयन में कमजोर संविदा प्रबन्धन के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है:

बी पी एल संयोजनों पर अतिरिक्त व्यय

6.2.13.3 ग्रा वि नि ने प्रत्येक बी पी एल संयोजन के लिए ₹ 1500 की राशि तय की। लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी ने प्रति संयोजन ₹ 1500 से अधिक व्यय किया और ₹ 2.13 करोड़ को अतिरिक्त व्यय किया। प्रत्येक जिले में प्राप्त दर, अवमुक्त संयोजनों की संख्या तथा किये गये अतिरिक्त व्यय का विवरण नीचे तालिका-6.2.4 में दिया गया है:

तालिका- 6.2.4 *(राशि ₹ में)*

क्र. सं.	जिला का नाम	बी पी एल संयोजनों की संख्या	इकाई दर (संविदा के अनुसार)	इकाई दर (ग्रा वि नि के अनुसार)	इकाई दर में अन्तर	अतिरिक्त व्यय (3x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	चमोली	7340	1680	1500	180	13,21,200
2	देहरादून	15077	1520	1500	20	3,01,540
3	नैनीताल	20009	2200	1500	700	1,40,06,300
4	पौड़ी	20300	1690	1500	190	38,57,000
5	रूद्रप्रयाग	11919	1610	1500	110	13,11,090
6	ऊधमसिंह नगर	24202	1520	1500	20	4,84,040
कुल अतिरिक्त व्यय						**2,12,81,170**

(स्रोतः कम्पनी एवं ग्रा वि नि के मानकों से उपलब्ध आँकड़ों से संकलित)

आगे लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बी पी एल उपभोक्ताओं को जारी संयोजनों में कम्पनी के द्वारा ₹ 2.13 करोड़ का किया गया अतिरिक्त व्यय ग्रा वि नि के द्वारा अस्वीकार कर दिया था। ग्रा वि नि की शर्तों की अनदेखी एवं उच्च दरों पर संविदा प्रदान करने के फलस्वरूप कम्पनी पर ₹ 2.13 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

बी पी एल संयोजनों को जारी करने में धीमी प्रगति

6.2.13.4 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 6,23,790 ग्रामीण बी पी एल घरों में से 5,87,524 ग्रामीण बी पी एल घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने बी पी एल घरेलू संयोजनों के जारी हेतु 2,27,579 का लक्ष्य रखा था, जिसके सापेक्ष में मार्च, 2011 तक 1,91,656 बी पी एल घरेलू संयोजन जारी हुए थे। फलतः राज्य की 35,923 बी पी एल परिवार विद्युत सुविधा प्राप्त करने में पिछले 12 से 42 माह से वंचित रहे थे।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2011) कि देरी संवेदको की ओर से हुई थी एवं उन्हें कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा गया था। यद्यपि यह तथ्यात्मक है कि कम्पनी निर्धारित समय पर कार्यपूर्ण करवाने में असफल रही।

ब्याज की हानि

6.2.13.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार (अक्टूबर 1997), संवेदकों को दिया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम ए) पर ब्याज देय होना चाहिए। यह संज्ञान में आया कि रा गा ग्रा वि यो के कार्यों को करवाने हेतु सभी 13 सम्बद्ध ठेकेदारों को कम्पनी ने ₹ 68.90 करोड़ एम ए ब्याज रहित प्रदत्त किया (दिसम्बर 2005-जनवरी 2006)। कम्पनी ने ब्याज नहीं लगाया और उसे ₹ 8.22 करोड़ ब्याज की हानि उठानी पड़ी थी।

आगे यह संज्ञान में आया कि अल्मोड़ा एवं पौड़ी में जुलाई 2006 एवं जून 2008 में एम ए की क्रमशः ₹ 4.76 करोड़ एवं ₹ 1.30 करोड़ की द्वितीय किस्त पिछली किस्त

की उपयोगतिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही ठेकेदार को अवमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में निम्नांकित अनियमितताएं संज्ञान में आई थीः

- निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बिना, संविदा के शर्तों में ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान की धारा सम्मलित कर दी थी;
- एम ए की वसूली हेतु कम्पनी ने कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं किया था;
- कम्पनी ने अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2010 की समयावधि के दौरान किस्तों में एम ए की वसूली की थी।

यद्यपि एम ए पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया था, कम्पनी ने रा गा ग्रा वि योजना के लिए लिए गए ऋण पर 8 *प्रतिशत* की दर से ग्रा वि नि को ब्याज का भुगतान किया था।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2011) कि एम ए टेन्डर दस्तावेजों एवं संविदा की शर्तों के अनुसार दिया गया था। अतः एम ए से सम्बन्धित टेन्डर की नियम एवं शर्ते के स आ के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था।

परिनिर्धारित क्षति की अधो वसूली

6.2.13.6 संविदा के नियम एवं शर्तो के अनुसार, संविदा के तिथि से 18 महीनों के अन्दर कार्य को पूर्ण किया जाना था। संविदा की धारा 14 के साथ-साथ यह भी प्रावधान था कि यदि ठेकेदार निहित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है, तो वह प्रतिदिन दशमलव एक *प्रतिशत* की दर से अधिकतम संविदा राशि के 10 *प्रतिशत* परिनिर्धारित क्षति (एल डी) के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

यह संज्ञान में आया कि रा गा ग्रा वि योजना के कार्य चम्पावत एवं बागेश्वर जिलों में क्रमशः दिसम्बर 2008 एवं अप्रैल 2007 तक पूर्ण होना था। तय समय के सापेक्ष, दोनों जिलों में वास्तव में कार्य मार्च, 2011 तक पूर्ण हो पाया था। अतः दोनों जिलों के ठेकेदार पर ₹ 0.28 करोड़ एवं 0.39 करोड़ की एल डी की देनदारी थी। जबकि ठेकेदारो से ₹ 0.15 करोड़ एवं ₹ 0.29 करोड़ की वास्तविक एल डी वसूल की गई थी। अतः 0.23 करोड़ की कम वसूली हुई थी, जिसकी आगे की वसूली की उम्मीद कम लगती हैं, क्योंकि कार्य पूर्ण हो चुका था एवं पूर्ण भुगतान हो चुका है। प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर, 2011) और कहा कि बाकी एल डी की वसूली सत्यापन के बाद की जायेगी।

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम

6.2.14 भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से ऊर्जा क्षेत्र में उत्तोलन हेतु त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (त्व ऊ वि सु का) को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना इन उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित की गयी थी कि उप-संचारण एवं वितरण प्रणाली का उच्चीकरण, जिसमें ऊर्जा लेखा एवं मीटरिंग भी शामिल हो। योजना के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार के द्वारा दी गयी थी।

सुधारों को आगे जारी रखने के आशय से भारत सरकार ने XI योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ऊर्जा वित्त निगम (उ वि नि) को समन्वयक बनाते हुए जुलाई 2008 में पुनर्गठित त्व ऊ वि सु का (पु त्व ऊ वि सु का) योजना शुरू की। पु त्व ऊ वि सु का योजना में भाग-अ एवं भाग-ब शामिल हैं, भाग-अ आई टी से सुसज्जित प्रणाली की स्थापना को समर्पित था, जो सभी शहरों में एवं विश्वसनीय प्रमाणिक, आधारित अभिलेख प्रणाली को प्राप्त करने में समर्थ था, जो कि एस सी ए डी ए[6]/वितरण प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के अतिरिक्त था। इसके लिए, भारत सरकार के द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण का प्रावधान किया गया था जिसको परियोजना के पूर्ण होने पर तथा तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेन्सी के द्वारा सत्यापित करने पर ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। योजना का भाग-ब सामान्य उप संचारण और वितरण प्रणाली को सुदृढ करने एवं परियोजनाओं का उच्चीकरण से सम्बन्धित था।

पु त्व ऊ वि सु का की वितीय कार्यकुशलता

6.2.14.1 भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अवमुक्त निधि उसके सापेक्ष उपयोगिता को निम्न तालिका - 6.2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-6.2.5 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त निधि	उपलब्ध निधि	उपयोग की गई निधि	शेष	निधि की उपलब्धता के सापेक्ष में शेष का *प्रतिशत*
2008-09	2.44	2.44	-	2.44	100.00
2009-10	35.30	37.74	-	37.74	100.00
2010-11	-	37.74	32.99	4.75	12.59

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से संकलित)

कम्पनी द्वारा वि प प्रति तैयार करने में तथा उसे उ वि नि को प्रस्तुत करने में देरी के परिणामस्वरूप 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान निधि का अप्रयुक्त रही। केवल अप्रैल 2010 में आई टी कार्यान्वयन एजेन्सी (आई टी आई ए) के साथ करार किया गया, जिसके फलस्वरूप परियोजना शुरू करने में 12 महीनों की देरी हुई थी।

पु त्व ऊ वि सु आ के भाग-ए का कार्यान्वयन

6.2.14.2 पु त्व ऊ वि सु आ के भाग-अ के क्रियान्वयन हेतु उ वि नि द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण दिया जाता है। यह कार्यों को पूर्ण होने एवं तृतीय पक्ष (स्वतन्त्र मूल्यांकन एजेन्सी) के द्वारा सत्यापित होने पर अनुदान में परिवर्तनीय था।

यह संज्ञान में आया कि:-

- कम्पनी ने भाग-अ के कार्यान्वयन हेतु 31 चयनित शहरों में (जनगणना 2001 के अनुसार जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक है) ₹ 125.82 करोड़ लागत

6 पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं आँकडों का अधिग्रहण- समान्यतया यह औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, कम्प्यूटर प्रणाली का संदर्भ लेते हैं जो औद्योगिक नियंत्रण, बुनियादी ढाँचा या सुविधा पर आधारित प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा नियंत्रण करता है।

पर मैसर्स इनफिनिट कम्प्यूटर सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड को आई टी आई ए के रूप में नियुक्त किया था (अप्रैल, 2010)। संविदा के जारी होने के 18 माह के अन्दर परियोजना को पूर्ण होना था एवं योजना की पायलट परियोजना, करार करने के 12 महीनों के अन्दर पूर्ण होनी थी। शुरूआत में देहरादून को पायलट शहर के रूप में चयनित किया गया एवं संविदा जारी होने के 15 माह के बाद विकास नगर को अतिरिक्त पायलट शहर के रूप में चयनित किया गया था। यद्यपि, अगस्त 2011 तक न तो देहरादून को और न ही विकास नगर को नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया, परिणामस्वरूप पायलट परियोजना के चालू होने में देरी हुई थी। तद्नुसार अन्य चिन्हित शहरों में भी परियोजना के पूर्ण होने में देरी हुई, जब तक पायलट शहर परियोजना शुरू न की गई हो, वास्तविक समय निर्धारण के सजीव आँकड़ों का तथा बनाये गये नेटवर्क को वैध नहीं किया जा सकता एवं प्रक्रियाएँ सत्यापित नहीं की जा सकती।

प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर, 2011) कि उ वि नि की सलाह पर विकास नगर को अतिरिक्त पायलट शहर के रूप में चयनित किया गया था, अगस्त, 2011 में जिसके मोडूल्स ने परीक्षण परिवेश में कार्य शुरू कर दिया था। यद्यपि, पायलट शहर का कार्य मोडूल्स के साथ 12 महीनों के अन्दर शुरु तथा शेष चिन्हित शहरों का करार होने से 18 महीनों के अन्दर होना चाहिए था। लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनी अभी तक पायलट शहरों हेतु परीक्षण के स्तर पर ही है। आगे, प्रबन्धन, देहरादून की कार्य प्रगति पर उत्तर देने में चुप रही एवं बाकी बचे चिन्हित शहरों के कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए।

- भाग-अ परियोजना की धीमी प्रगति का मुख्य कारण आई टी आई ए द्वारा जी आई एस मैपिंग की धीमी गति रही थी, जैसे कि 31 चिन्हित नगरों में से केवल छः[7] नगरों का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हुआ था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर, 2011) कि जी आइ एस मैपिंग में देरी का प्रमुख कारण कुशल मानव शक्ति का अभाव होना एवं पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश का होना था एवं शेष अपूर्ण कार्य जनवरी 2012 तक पूर्ण किया जायेगा।

- पु त्व ऊ वि सु आ योजना में वितरण ट्रान्सफॉर्मरों (डी टी आर) पर 100 *प्रतिशत* मीटरिंग पर विचार किया जाना था एवं मोडम[8] की स्थापना अक्टूबर 2011 तक होनी थी। यह पाया गया कि बिना मीटरिंग किये डी टी आर्स तथा मॉडम की मीटरिंग 31 चिन्हित नगरों में से मात्र तीन[9] की, निर्धारित तिथि के अन्दर पूरी की गई थी।

---

7 विकासनगर, ऋषिकेश, मंगलौर, लंढौरा, जोशीमठ और लक्सर

8 डी टी आर से सजीव आँकड़े के संग्रहण हेतु मदद

9 विकासनगर, ऋषिकेश एवं लक्सर।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर, 2011) कि मीटरों के परीक्षण हेतु केन्द्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, बंगलौर पर निर्भरता के कारण ठेकेदार ने मीटरों की आपूर्ति पर अधिक समय लिया था, जिसके कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका था।

पु त्व ऊ वि सु आ के भाग ब का क्रियान्वयन

6.2.14.3 पु त्व ऊ वि सु आ भाग-ब योजना कम्पनी की संचारण एवं वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य के साथ ए टी एण्ड सी की हानि को 15 *प्रतिशत* के स्तर तक लाने से सम्बन्धित थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 31 नगरों को चयनित किया था। परिचालन समिति ने परियोजना के अनुमोदन से पाँच वर्ष के अन्दर पूरा किये जाने की समय-सीमा निश्चित की थी। भाग- ब के क्रियान्वयन हेतु परियोजना की लागत का 90 *प्रतिशत* भारत सरकार द्वारा उ वि नि के माध्यम से प्रदान करना था एवं बाकी 10 *प्रतिशत* उ वि नि से या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में/अपने आन्तरिक संसाधनों द्वारा प्राप्त करना था। कम्पनी ने भाग-ब के कार्यान्वयन हेतु उ वि नि को ₹ 719.56 करोड़ की वि प प्रति प्रस्तुत की (फरवरी 2011)। इसे उ वि नि के निर्देशानुसार कम्पनी द्वारा संशोधन कर ₹ 630.62 करोड़ कर दिया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी ने जुलाई, 2011 तक भाग-ब के वि प प्रति तैयार करने के लिए मैसर्स ट्रिडेन्ट टेक्नोलैब प्रा लि को ₹ 0.26 करोड़ दिये थे। भाग -अ के शुरू होने के तीन से छः महीनों के बीच भाग-ब का क्रियान्वयन शुरू हो जाना चाहिए था। इस प्रकार भाग - ब का कार्य अक्टूबर 2010 तक शुरू होना चाहिए था। वि प प्रति तैयार करने में फरवरी 2011 तक की देरी हुई थी।

उपभोक्ता मीटरिंग

6.2.14.4 पु त्व ऊ वि सु आ योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक 100 *प्रतिशत* मीटरिंग प्राप्त करना था। गैर मीटरिंग उपभोक्ताओं की मीटरिंग, विद्युत-यांत्रिक मीटरों के स्थान पर टेम्पर -प्रुफ विद्युत मीटरों को लगाना तथा खराब व बन्द पड़े मीटरों को बदलने का कार्य कम्पनी के आठ वृत्तों[10] में मार्च 2012 तक पूरा होना था। अगस्त 2011 तक कम्पनी खराब मीटरों की पहचान तक करने या फिर यांत्रिक मीटरों को बदलने में असफल रही थी। 31 मार्च 2011 को 15.26 लाख उपभोग्ताओं की संख्या के सापेक्ष में 15.01 लाख उपभोक्ताओं के मीटर लगे।

मीटरों की स्थापना से सम्बन्धित कम्पनी की प्रगति निम्न तालिका-6.2.6 में दी गई है:

10 श्रीनगर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून (ग्रामीण), देहरादून (शहर), रुद्रपुर, हल्द्वानी, रानीखेत।

तालिका 6.2.6 *(लाख में)*

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में स्थापित मीटरों की संख्या	वर्ष के दौरान मीटर लगाने का लक्ष्य	वर्ष के दौरान लगाए गए मीटर	वर्ष के दौरान जारी मीटरों की संख्या	वर्ष के अन्त में स्थापित मीटरों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का *प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6 (2+4+5)	7 (4/3x100)
2006-07	10.66	0.46	0.05	0.40	11.11	10.87
2007-08	11.11	0.41	0.11	0.78	12.00	26.83
2008-09	12.00	0.30	0.02	1.12	13.14	06.67
2009-10	13.14	0.28	0.01	1.02	14.17	03.57
2010-11	14.17	0.26	0.01	0.83	15.01	3.85

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से संकलित)

यह पाया गया कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान उपभोक्ताओं को 100 *प्रतिशत* मीटरिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में कम्पनी असफल रही, क्योंकि मार्च, 2011 तक 0.25 लाख उपभोक्ता मीटरिंग सुविधा से वंचित रहे थे।

उ वि नि आ के आदेशों का अनुपालन न होने के कारण हानि

6.2.14.5 उ वि नि आ के सितम्बर 2003 के आदेश के अनुसार सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के 100 *प्रतिशत* मीटरिंग कम्पनी को दिसम्बर 2003 तक पूर्ण करना चाहिए था। जब कम्पनी निर्देशों का पालन नहीं कर सकी, उ वि नि आ ने अगस्त 2005 में कम्पनी पर ₹ एक लाख एवं अतिरिक्त ₹ 5000 प्रतिदिन बिना मीटर के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने पर समेकित दण्ड लगाया था। मार्च 2011 तक कम्पनी ने 1.04 करोड़ का भुगतान किया था। कम्पनी को दोहरी हानि उठानी पड़ी, जैसे राजस्व की हानि (बिलिंग आंकलन के आधार पर की गई थी) एवं उ वि नि आ के द्वारा दण्ड लगाने के कारण हानि। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2011) और कहा कि, बिना मीटर के उपभोक्ताओं के लिए शीघ्र ही मीटर लगाए जायेगें।

परियोजना एवं संविदा प्रबन्धन

परियोजना एवं संविदा प्रबन्धन की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनिमितताओं पर नीचे चर्चा किया गया हैः

उपभोक्ता सूचकांक पर अलाभकारी व्यय

6.2.15 कम्पनी ने मार्च, 2007 तक अपने सभी उपभोक्ताओं को ₹ 1.72 करोड़ की लागत से सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। इससे अच्छी बिलिंग एवं राजस्व संग्रहता में सुधार सम्भावित थी। किसी भी उपभोक्ता को नया संयोजन उपभोक्ता सूचकांक के द्वारा ही प्रदान किया जायेगा, जिससे कि डाटा का अद्यतन स्वयं ही हो सकेगा। इस

प्रयोजन के लिए कम्पनी ने आठ वृतों में छः वृतों के 6.66 लाख उपभोक्ताओं[11] हेतु सूचकांक का लक्ष्य रखा एवं उपरोक्त कार्य पर ₹ 3.39 करोड़ का व्यय किया। हमने पाया कि उपभोक्ता डाटा, बिलिंग प्रणाली से जुड़ नही सका था एवं उपभोक्ता सूचकांन के द्वारा उपभोक्ताओं को नए संयोजन जारी नहीं हुए थे। विद्युत बिल एवं लेजर के संदर्भ में उपभोक्ताओं को 100 *प्रतिशत* उपभोक्ता सूंचकांक नम्बर (उ सू न) नहीं दिये गये थे। कम्पनी विद्युत के सभी उपभोक्ताओं की पहचान करने व उन्हें सम्बन्धित डी टी मीटर एवं फीडर के साथ जोड़ने में भी विफल रही थी। इस कारण, कम्पनी सूचकांक के द्वारा गैर बिलिंग उपभोक्ताओं की पहचान नहीं कर पाई थी तथा अच्छी बिलिंग सुविधा एवं राजस्व संग्रहण करने में असफल रही।

लेखापरीक्षा में आगे पाया किः

- रूद्रपुर वृत्त में, कम्पनी 59 *प्रतिशत* निर्धारित कार्य ही पूर्ण कर सकी।
- हल्द्वानी वृत्त में, सूचकांक कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाया तथा कार्य को दिसम्बर 2008 में बंद कर दिया था।
- रूड़की, देहरादून (शहरी), एवं रानीखेत वृतों में, निर्धारित तिथि से सूचकांक का कार्य पूर्ण होने में 31 से 41 माह का अधिक समय लगा।
- देहरादून (ग्रामीण) वृत में, कम्पनी ने सूचकांक कार्य के लिए एक लाख उपभोक्ता का लक्ष्य रखा था, लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर, 2011) और उत्तर दिया कि कुशल जनशाक्ति की कमी एवं आई टी समर्थ लोगों के न होने से लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी। यद्यपि वस्तुस्थिति वैसे ही है कि पु त्व ऊ वि सु आ योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सूचकांक का वही कार्य कम्पनी को दौबारा करना पड़ा था। अतः उपरोक्त सूचकांक कार्य में किया गया व्यय ₹ 3.39 करोड़ निष्फल हो गया।

निधि का व्ययावर्तन

6.2.16 वर्ष 2006-07 के दौरान कम्पनी के द्वारा चार[12] वृतों में 115 डाटा लौगिंग प्रणाली की स्थापना हेतु पु त्व ऊ वि सु आ निधि से ₹ 5.28 करोड़ का प्रावधान किया था। इन परियोजनाओं को शुरू नहीं किया गया। देहरादून (शहरी) वृत्त में मात्र ₹ 0.11 करोड़ के छोटे मोटे कार्य किए गए थे। वर्ष 2008-09 में कम्पनी के द्वारा पु त्व ऊ वि सु आ की अन्य योजनाओं हेतु ₹ 5.17 करोड़ की राशि का व्ययावर्तन/उपयोग कर लिया था, जिसका अनुमोदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

---

11 रूद्रपुर, 1.25 लाख उपभोक्ताओं, रूड़की 1.35 लाख उपभोक्ताओं, देहरादून (शहरी) 1.10 लाख उपभोक्ताओं, रानीखेत 1.04 लाख उपभोक्ताओं, हल्द्वानी 0.92 लाख उपभोक्ताओं, देहरादून (ग्रामीण) 1.00 लाख उपभोक्ताओं।

12 हल्द्वानी (33 नं0 ₹ 0.58 करोड़) रूड़की (35 नं0 ₹ 2.18 करोड़) देहरादून – शहरी (14 नं0 ₹ 0.87 करोड़) एवं रूद्रपुर (33 नं0 ₹ 1.65 करोड़)

उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी

6.2.17 पन्तनगर में, सिडकुल औद्योगिक अवस्थापना को बिजली प्रदान करने हेतु कम्पनी ने मैसर्स ए बी बी लि के साथ ₹ 14.37 करोड़ लागत के 33/11 के वी के छः उपकेन्द्रों के निर्माण का अनुबंध किया (जून 2006)। अगस्त, 2006 से फरवरी, 2007 तक की अवधि के दौरान यह कार्य पूरा करना निर्धारित था। इन छः उपकेन्द्रों में से, पांच उपकेन्द्रों का कार्य 119 से 484 दिनों की देरी के साथ पूरा हो गया था। उप-स्टेशनों के पूरे होने में देरी के कारण कम्पनी औद्योगिक उपभोक्ताओं को समय से विद्युत संयोजन को प्रदान करने में विफल रही एवं उसी समयावधि के राजस्व से भी वंचित रही थी।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकारा तथा बताया (नवम्बर 2011) कि कार्य पूरा करने में हुई देरी के लिए ठेकेदार से परिनिर्धारित क्षति (एल डी) की वसूली की जायेगी।

उपकेन्द्रों के निर्माण में अपर्याप्त योजना

6.2.18 कम्पनी ने मैसर्स कश्मीरी लाल कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के साथ ₹ 17.96 करोड़ लागत के पाँच 33/11 के.वी. के उपकेन्द्रों एवं इससे सम्बन्धित लाईनों को मुनाकोट, बाराकोट, पट्टी, भैसीयाछाना और ओखलकांडा में निर्माण हेतु अप्रैल, 2009 से नवम्बर, 2011 तक निर्धारित समय में पूर्ण करने का समझौता (जून 2007) किया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मात्र एक उपकेन्द्र पट्टी का कार्य समय पर पूरा था तथा मुनाकोट उपकेन्द्र एवं इससे सम्बन्धित लाईनों का कार्य, 136 दिनों की देरी से पूरा किया था। भैसीयाछाना एवं ओखलाकाण्डा उपकेन्द्रों का कार्य वन क्षेत्र की स्वीकृति (क्लीयरेंस) न मिल पाने के कारण नवम्बर, 2011 तक पूरा नहीं हुआ था एवं ब्राकोट उप-केन्द्र भीषण भू-स्खलन होने के कारण निर्मित नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने मुनाकोट उपकेन्द्र के विद्युतीकरण में देरी होने को स्वीकारा है (नवम्बर 2011) एवं कहा कि उस क्षेत्र में भू-स्खलन के कारण लाइनों के मार्ग को विपथित किया गया था। यह भी कहा गया कि भैसियाछाना एवं ओखलाकाण्डा उपकेन्द्रों की लाइनों को शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। यद्यपि तथ्य यह है कि वन विभाग से स्वीकृति लेने में करार के चार वर्ष तक विफल रही थी, जो संविदा प्रदान करने से पहले कर लेना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप भिसियाछाना एवं ओखलाकाण्डा इन दो कार्यों के सम्बन्ध में ₹ 2.51 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई।

निधियों के अवरोध के साथ-साथ ब्याज की हानि

6.2.19 कम्पनी ने मैसर्स मदन कन्सट्रक्शन के साथ ₹ 8.01 करोड़ लागत का कीर्तिनगर में 33/11 के वी का उप-केन्द्र एवं 20 किलो मीटर की सम्बन्धित लाइनों का निर्माण जो कि फरवरी 2008 तक के निर्धारित समय तक पूरा होना था, का एक समझौता (मई 2007 में) किया। कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि (फरवरी 2008)

से 46 माह बाद भी पूरा नहीं हो पाया था (नवम्बर 2011)। वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य रूक गया था। मार्च 2011 तक कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 7.14 करोड़ का भुगतान कर दिया था। क्योंकि कार्य अभी अपूर्ण था (दिसम्बर, 2011) इस कार्य पर किया गया व्यय तीन वर्षों तक अवरूद्ध रहा, परिणामस्वरूप इस राशि पर ₹ 1.71 करोड़[13] की ब्याज की हानि हुई थी। प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा है (दिसम्बर 2011) एवं बताया कि उपकेन्द्र एवं उससे सम्बन्धित लाईनों के निर्माण में देरी वन विभाग की स्वीकृति मिलने में देरी से सम्बद्ध है जो कि वन विभाग से अगस्त 2010 को प्राप्त कर ली थी एवं पेड़ों का कटान जून 2011 को पूरा हुआ था। यद्यपि तथ्य यह है कि वन विभाग की स्वीकृति संविदा प्रदान करने से पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए थी तथा परियोजना को फरवरी 2008 तक पूरा कर लेना चाहिए था।

चालू परियोजनाएँ

संविदा के दिये जाने में लापरवाही

6.2.20 रूद्रप्रयाग जिले में कुदी फुटगढ़ एवं अगस्त्यमुनि के 33/11 के वी उपकेन्द्र एवं उससे सम्बन्धित लाईनों के निर्माण हेतु कम्पनी ने निविदाएँ आमंत्रित की थी, जबकि कम्पनी ने मैसर्स ए-टू-जेड मैन्टेनेन्स एवं इन्जिनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹ 4.89 करोड़ लागत के 33/11 के वी के उपकेन्द्र सुमाडी भरदार, चोपता एवं धनतेरी में स्थापित करने का अनुबन्ध किया। परियोजना के स्थान के आधार पर दरों में बदलाव पर विचार किए बिना कम्पनी ने उसी जिले में इन उपकेन्द्रों के स्थान में परिवर्तन करते हुए कुदी फुटगढ़ एवं अगस्त्यमुनि सुमाड़ी भरदार एवं चोपता कर दिया। परियोजना पूरा होने का निर्धारित समय भूमि के हस्तान्तरण से 9 महीना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- कुदी फुटगढ (वास्तविक स्थल) की रेल स्थल से दूरी की तुलना में, सुमारी भरदार (नया स्थल) की रेल स्थल 25 कि.मी. कम दूरी पर है एवं समुद्र तल से दो जगहों के बीच 715 मीटर का अन्तर है। लोक निर्माण विभाग के मापदण्डों के अनुसार (जुलाई 2010) प्रत्येक 10 कि.मी. पर एक *प्रतिशत* की दर से एवं ऊचाई सूचकांक प्रति 100 मीटर पर एक *प्रतिशत दर से घटाव* अनुमन्य है। इस प्रकार नियमानुसार सुमाड़ी भरदार उपकेन्द्र के निर्माण हेतु संविदा की दर, कीमत से 9.5 *प्रतिशत*[14] कम होनी चाहिए थी। यद्यपि,

13 ₹ 7.14 करोड़ ग 3 ग 8/100त्र ₹1.71 करोड़

14 अन्तर में 2.5 की प्रतिशत कमी होनी चाहिए क्योंकि रेल स्थल दूरी कम है तथा 7 प्रतिशत ऊँचाई समुद्र तल से कम है = 9.5 प्रतिशत

कम्पनी ने इन आवश्यक तथ्यों की अनदेखी की और ₹ 0.10 करोड़[15] की अतिरिक्त राशि ठेकेदार को स्वीकार की।

- आगे यह पाया गया कि स्थल की अनुपलब्धता के कारण (नवम्बर 2011) चोपता एवं धन्तेरी हेतु उप-केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। कम्पनी ने संविदा दिये जाने से पूर्व उप-केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि की पहचान नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप उप-केन्द्रों का निर्माण में देरी हुई। साथ ही अद्यतन (दिसम्बर 2011) क्षेत्र के लोग गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा आपूर्ति से वंचित थे।

उपकेन्द्रों के निर्माण में लक्ष्यों का अप्राप्त रहना

6.2.21 कम्पनी ने में मैसर्स नेगी निर्माण एवं मैसर्स कश्मीरीलाल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के साथ लाखामण्डल में क्रमशः 33/11 के वी उपकेन्द्र एवं 6 किलोमीटर लाईन हेतु संविदा (अगस्त 2010) की। ये संविदाएं ₹ 0.92 करोड़ एवं ₹ 0.60 करोड़ की लागत से क्रमशः नवम्बर 2010 तथा अगस्त 2011 तक पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के साथ की गयी थी। लाखामण्डल उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित लाइनें नवम्बर 2011 तक पूर्ण नहीं हो पायी थी क्योंकि आवश्यक सामग्री ठेकेदार को प्रदान नहीं की गई थी। यह कम्पनी के गलत नियोजन को दर्शाती है। प्रबन्धन ने आपत्ति को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2011) कि वांछित सामग्री स्टोर डिवीजन, देहरादून में उपलबध नहीं थी। यद्यपि, यह वास्तविकता, फिर भी रह जाती है कि कम्पनी को संविदा दिये जाने से पूर्व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी।

निधियों का अवरूद्ध रहना

6.2.22 कम्पनी ने ₹ 2.91 करोड़ की लागत पर चम्बा से कोटेश्वर तक 40 कि.मी. 33/11 के वी लाईन के निर्माण हेतु मैसर्स साग्गी इलैक्टीकल्स के साथ संविदा इस शर्त पर की (दिसम्बर 2010) कि कार्य वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद चार माह की निर्धारित अवधि में पूर्ण हो। इन लाईनो का कार्य नवम्बर 2011 तक पूर्ण नहीं हो सका था क्योंकि वन विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य रूका हुआ था। अतः कम्पनी के द्वारा ठेकेदार लाइनों के निर्माण हेतु किया गया ₹ 1.22 करोड़ का भुगतान, निधियों के अवरूद्ध होने के कारण बना।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा एवं बताया (दिसम्बर 2011) कि गैर वन क्षेत्र में लाईनों का निर्माण कार्य प्रगति पर थे। यद्यपि, वन क्षेत्र में आ रही लाइनों का 20 *प्रतिशत* कार्य अभी तक रूका हुआ था एवं कम्पनी को संविदा करने से पहले वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए था।

15 सुमाडी-भरदार कुल केन्द्र की कीमत ₹ 1.10 करोड़, अतः ₹ 1.10 करोड़ X 9.5/100 = ₹ 0.10 करोड़

परिचालन कार्यकुशलता

6.2.23 कम्पनी की परिचालन कार्यकुशलता का विश्लेषण विविध तत्वों जैसे वितरण हेतु पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता, वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता, लाईनों की हानि को कम करना एवं बिजली की चोरी रोकने के आधार पर किया गया था। इन पहलुओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की जा रही है।

ऊर्जा की खरीद

6.2.23.1 पूर्व के उपभोग की प्रवृति, वर्तमान आवश्यकता, भार में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति एवं टी एण्ड डी हानि एवं इसकी प्रवृति के आधार पर भविष्य की मांगो का आकलन एवं ऊर्जा की मांग की गणना की जाती है। उ वि नि आ, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (वा रा आ) के प्राकल्लन के आधार पर ऊर्जा खरीद एवं खरीद लागत के श्रोतों का अनुमोदन देता है।

17वी विद्युत ऊर्जा सर्वक्षण (वि उ स) पर आधारित राज्य में ऊर्जा की मांग के निर्धारण का विवरण, उ वि नि आ के द्वारा की स्वीकृत ऊर्जा खरीद एवं वर्ष 2006-07 से 2010-11 की समयावधि के दौरान ऊर्जा की वास्तविक खरीद का विवरण नीचे तालिकाः 6.2.7 में दिया गया हैः

तालिका - 6.2.7 *(इकाई मिलियन में)*

वर्ष	वि उ स में मांग का निर्धारण	उ वि नि आ के द्वारा खरीद की स्वीकृति	वास्तविक ऊर्जा की खरीद	ऊर्जा की कमी	उ वि नि आ के द्वारा स्वीकृति के सापेक्ष आधिक्य/कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6) = (3-4)
2006-07	5957.00	7922.17	5705.88	251.12	(-)2216.29
2007-08	7047.00	6679.00	6855.22	191.78	176.22
2008-09	7841.00	6884.00	7854.22	(13.22)	970.22
2009-10	8920.00	7631.99	8464.50	455.50	832.51
2010-11	9838.00	8031.06	9390.28	447.72	1359.22
कुल	39603.00	37148.22	38270.10	1332.90	1121.88

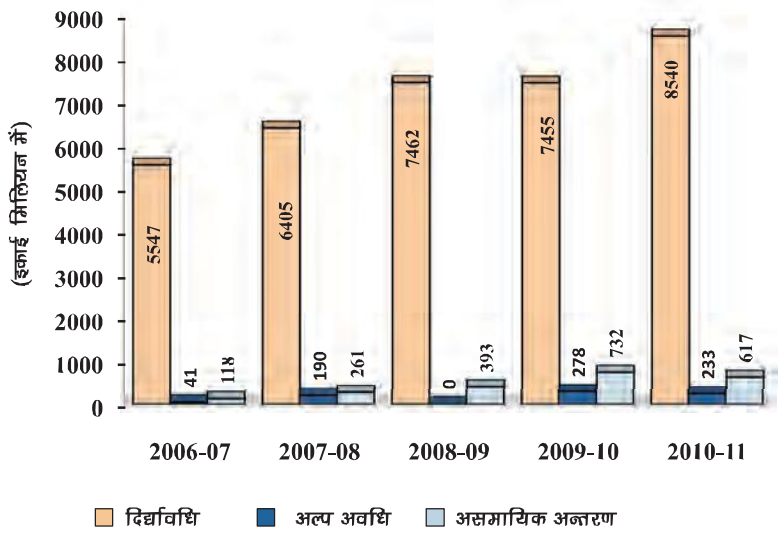
(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर सूचना समेकित)

हमारे द्वारा पाया गया किः-

- वर्ष 2008-09 छोड़कर, वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य में 191.78 एम यू से 455.50 एम यू के बीच ऊर्जा की कमी रही थी।
- उ वि नि आ की स्वीकृति के विरूद्ध वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान कम्पनी ने 176.22 एम यू से 1359.22 एम यू के बीच अधिक ऊर्जा खरीदी थी।

- वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान कम्पनी ने राज्य विद्युत उत्पादन सा क्षे उ से ₹ 2449.73 करोड़ लागत की 18215.91 एम यू, केन्द्रीय क्षेत्र से ₹ 3204.97 लागत की 14409.90 एम यू, राज्य के स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादको (आई पी पी) ₹ 189.43 करोड़ कीमत की 582.54 एम यू एवं अन्यों से ₹ 1497.32 करोड़ की 5061.74 एम यू, को सम्मिलित करते हुए कुल 38270.10 एम यू विद्युत खरीदी थी।
- पिछले पाँच वर्षों, अर्थात् 2006-11 के दौरान, राज्य की मांग को पूरा करने हेतु कम्पनी ने ₹ 973.07 करोड़ लागत की 2120.47 एम यू असामयिक अंतरण (यू आई)/ ओवरड्रॉल द्वारा विद्युत प्राप्त की।

ऊर्जा खरीद हेतु कम्पनी ने अनेक एजेंसियों से जैसे राज्य उत्पादक कम्पनियों, केन्द्रीय सा क्षे उ, आई पी पी आदि के साथ लम्बी एवं कम अवधि की संविदाएँ की हैं। इसके अलावा इसने आवश्यकता के आधार पर असामयिक अंतरण खरीद का आश्रय भी लिया था। लम्बी अवधि, कम अवधि एवं असामयिक अन्तरण के द्वारा खरीदे गए विद्युत का विवरण नीचे बार चार्ट में दर्शाया गया है।



कम्पनी ने विभिन्न दरों पर सात पार्टियों से विद्युत क्रय की थी। दरें वर्ष 2006-07 में ₹ 0.88 प्रति इकाई से ₹ 5.68 प्रति इकाई के मध्य घटती बढ़ती रही थी। वर्ष 2010-11 में ₹ 1.48 प्रति इकाई से ₹ 3.48 प्रति इकाई के बीच थी। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान ऊर्जा की खरीद का स्रोतवार विवरण *परिशिष्ट-6.6* में दिया गया है।

यद्यपि, कम्पनी ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य के ऊर्जा उत्पादको से ऊर्जा की आवश्यकता एवं इसकी आपूर्ति का विश्लेषण किया गया था, लेकिन राज्य से बाहर के ऊर्जा उत्पादकों से मितव्ययी दरों पर कम्पनी अभी तक लम्बी अवधि की संविदा नहीं कर सकी थी। इस कारण से कम्पनी को खुले बाजार से बढ़ी दरों पर ऊर्जा खरीद करनी पड़ी और असामयिक अन्तरण (यू आई) का आश्रय लेना पड़ा।

उप-संचरण एवं वितरण हानि

6.2.24 33 के वी के स्तर पर हानि उप-संचरण हानि मानी जाती है, जबकि 11 के वी स्तर या उससे नीचे की हानि वितरण हानि माना जाता है, ये हानि मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं जैसे- तकनीकी एवं वाणिज्यिक। तकनीकी हानि, ऊर्जा संचरण एवं ऊर्जा वितरण हेतु प्रयुक्त संयन्त्रों के निहित स्वभाव एवं कण्डकटर की प्रतिरोधक क्षमता से जिसके द्वारा विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान ले जायी जाती है, के कारण होती है। वाणिज्यिक हानि; ऊर्जा की चोरी, खराब मीटर एवं बिना मीटर के आपूर्ति आदि से होती है। इन तत्वों के कारण ऊर्जा की हानि को कम से कम रखना चाहिए।

पिछले पांच वर्षों 2010-11 तक के लिए राज्य में ऊर्जा की हानि को नीचे तालिका-6.2.8 में दर्शाया गया है:

तालिका-6.2.8 *(मिलियन यूनिट में)*

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	खरीदी गई ऊर्जा	5705.88	6855.22	7854.22	8451.87	9390.28
2.	बेची गई ऊर्जा	3885.90	4736.10	5493.73	6249.21	7250.68
3.	ऊर्जा की हानि (1-2)	1819.98	2119.12	2360.49	2202.66	2139.60
4.	ऊर्जा हानि की प्रतिशतता *(प्रतिशत)* {(3 / 1) x 100}	31.90	30.91	30.05	26.06	22.79
5.	उ वि नि आ के द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित ऊर्जा की हानि *(प्रतिशत)*	28.32	24.32	22.32	20.32	19.00
6.	हानि में आधिक्य (एम यू में)	204.27	451.76	607.13	485.14	355.89
7.	प्रति इकाई औसत वसूली दर (₹ में)	**2.38**	**2.48**	**2.91**	**2.89**	**3.46**
8.	अधिक हानि की लागत (₹ करोड़ में) (6 x 7)	48.62	112.04	176.67	140.21	123.14

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर संकलित सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त विगत् पांच वर्षों के दौरान हानि 31.90 से 22.79 *प्रतिशत* के बीच रही थी। कम्पनी को वित्तीय रूप सें स्वावलंबी बने रहने हेतु इस हानि को कम करना अति आवश्यक है। हानि को कम करने की महत्ता को इस प्रकार आंका जा सकता है कि यदि एक *प्रतिशत* हानि में कमी लाई जाये, तो कम्पनी के वार्षिक लाभ में ₹ 32.49 करोड़[16] की वृद्धि होगी। उच्च स्तर पर हानि का मुख्य कारण अधिक संख्या में बिना मीटर के उपभोक्ता थे जिससे कम्पनी में यह कमियाँ जैसे मीटर बिक्री के विरूद्ध उच्च स्तर पर आंकलित बिक्री, वितरण ट्रान्सफॉर्मरों का खराब होना, रख-रखाव क्रियाकलापों में कमी, इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों के स्थान पर टेम्पर प्रुफ इलैक्ट्रोनिक मीटर न बदलना, एच टी/एल टी के अनुपात का कम *प्रतिशत* तथा बिजली की चोरी थी।

16 वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी के औसत संग्रहण की दर पर आधारित।

वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की कार्यकुशलता

6.2.24.1 उ वि नि आ ने अपनी बिजली दर सूची में वितरण ट्रान्सफॉर्मरों (डी टी आर) के खराब होने के मानकों को निर्धारित नहीं किया था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उ प्र वि नि आ) के द्वारा डी टी आर के खराब होने का मानक 5 *प्रतिशत* नियत किया गया था। वास्तविक रूप से डी टी आर खराब होने की संख्या एवं उनके मरम्मत पर किया गया व्यय नीचे तालिका-6.2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका-6.2.9

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	वर्ष के अन्त में विद्यमान डी टी आर *(संख्या में)*	30442	34125	37532	40866	46164
2.	खराब डी टी आर *(संख्या में)*)	4019	4369	4807	4755	5956
3.	खराब की प्रतिशतता	13.20	12.80	12.81	11.64	12.90
4	उ प्र वि नि आ द्वारा डी टी आर खराब होने के निर्धारित मानक *(प्रतिशत में)*	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5.	मानकों से अधिक *प्रतिशत* में खराब डी टी आर	8.20	7.80	7.81	6.64	7.90
6.	खराब डी टी आर के मरम्मत पर व्यय *(₹ करोड़ में)*	21.25	32.23	26.50	43.77	37.75

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर संकलित)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि उ प्र वि नि आ के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर कम्पनी ने अपनी विफलता दर को नहीं रख सकी और वर्ष 2006-11 के दौरान विफलता दर दोगुने से भी अधिक थी। पांच वर्षों की समयावधि के दौरान कम्पनी ने डी टी आर की मरम्मत पर ₹ 161.50 करोड़ का व्यय किया; जिसमें से, खराब डी टी आर की मरम्मत पर मानकों की अनदेखी के चलते ₹ 97.09 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था। डी टी आर के हिस्ट्री कार्डों की अनुपस्थिति में ट्रान्सफॉर्मरों के रखरखाव के विषय में ब्यौरे कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी अपने ट्रान्सफॉर्मरों के लिए वारन्टी अवधि का लाभ नहीं ले सकी।

कुछ जिलों में डी टी आर के खराब होने का *प्रतिशत* बहुत अधिक था। वर्ष 2006-11 के दौरान हरिद्वार जिले[17] में यह 15.31 से 23.91 *प्रतिशत,* चमोली जिले[18] में 11.75 से 15.75 *प्रतिशत* एवं उधमसिंह नगर जिले[19] में 15.02 से 20.49 *प्रतिशत* के बीच था, जो अधिक भार, खराब मरम्मत, तडितचालक एवं आतंरिक कमियों के कारण था। समय पर रख-रखाव, पहाड़ी क्षेत्रों में (तडितचालक) एरेस्ट्रों की स्थापना, डी टी आर की सही ढंग से आर्थिंग एवं एल टी कण्डक्टरों को एरियल बन्चड केबल में बदलने से नियंत्रित किया जा सकता था।

17 ई डी डी रूड़की (ग्रामीण एवं शहरी) एवं हरिद्वार (ग्रामीण एवं शहरी)।

18 ई डी डी गोपेश्वर।

19 ई डी डी रूद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर।

6.2.24.2 अतिभार के कारण वर्ष 2006-07 में डी टी आर विफलता 15.62 *प्रतिशत* से वर्ष 2010-11 में 10.36 *प्रतिशत* पर घटकर आ गई जिसके विवरण नीचे तालिका-6.2.10 में दिए गये हैः-

तालिका-6.2.10

वर्ष	वर्ष[20] के दौरान खराब डी टी आर की कुल संख्या	अतिभार के कारण विफलताओं की संख्या	अतिभार के कारण विफलताओं की *प्रतिशतता*
2006-07	3993	624	15.63
2007-08	4347	609	14.01
2008-09	4777	623	13.04
2009-10	4690	604	12.88
2010-11	5890	610	10.36

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

उपरोक्त में दर्शाया गया है कि अतिभार के कारण डी टी आर खराबी की संख्या वर्ष 2006-07 में 624 से घटकर वर्ष 2010-11 में 610 थी। जिसे उपभोक्ताओं की नियमित छानबीन, समय-समय पर रख-रखाव एवं पर्याप्त क्षमता वाले डी टी आर की स्थापना से और कम किया जा सकता था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान 23906 डी टी आर खराब हुए, उनमें से 20627 डी टी आर आन्तरिक कमियों से, 3070 डी टी आर अतिभार देने से एवं 209 डी टी आर विनिर्माण कमी के कारण खराब हुए थे।

वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के मरम्मत में देरी

6.2.24.3 कम्पनी खराब ट्रान्सफॉर्मरों की मरम्मत का कार्य स्वयं विभागीय स्तर से तथा वाह्य संस्थाओं दोनों जगहों से करवाती है। यद्यपि, विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त डी टी आर की मरम्मत हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, जबकि वाह्य संस्थाओं के द्वारा डी टी आर की मरम्मत हेतु दो महीने की समय सीमा निर्धारित की गयी थी। क्रय आदेशों के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को डी टी आर के कार्यकुशलता हेतु प्रस्थापना/आपूर्ति की तिथि से 12 से 30 महीनों की गारन्टी देनी होती है। वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में विभिन्न क्षमता से सम्बन्धित 186 डी टी आर खराब हुए थे एवं जनवरी से मार्च 2011 के दौरान मरम्मत के लिए भेजे गए, वे सात महीनों से अधिक समय से डी टी आर मरम्मत हेतु वाह्य संस्थाओं के पास पड़े थे। रानीखेत वृत में, अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2010 के दौरान 1280 खराब हुए डी टी आर जो मार्च 2011 तक मरम्मत के लिए पांच[21] वितरण खण्डों के पास पड़े थे। प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा (नवम्बर 2011) कि सितम्बर 2011 तक विभिन्न क्षमता के 284 खराब डी टी आर जो कार्यशाला खण्ड को भेजे गए थे एवं बाकी 996 डी टी आर के बारे में

20 निर्माण की कमी के कारण विफलताएँ सम्मिलित नहीं हैं।

21 अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर एवं रानीखेत।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (अ अ) को जल्दी मरम्मत हेतु अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

कम्पनी ने खराब ट्रान्सफॉर्मरों की मरम्मत हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की जो कि कम्पनी के कमजोर प्रबन्धन नियंत्रण को दर्शाता है।

ड्राई टाइप डी टी आर की अधिप्राप्ति न होना

6.2.24.4 ड्राई टाईप डी टी आर रख रखाव से मुक्त, स्थापना में सरल, निम्न परिचालन लागत एवं पर्यावरण के अनुकुल होते हैं, जबकि ऑयल डी टी आर प्रज्वलनशील, नियमित रखरखाव युक्त एवं पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कारक हैं। डाई टाईप ट्रान्सफॉर्मर में हवा कूलेन्ट का कार्य करती है और ऑयल टाईप डी टी आर में कूलेन्ट का कार्य ऑयल करता है। भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 64 (2) (ई) (iv) के अनुसार वाणिज्यिक एवं आवसीय भवनों के भीतर मात्र ड्राई-टाईप ट्रान्सफॉर्मरों की स्थापना की जानी चाहिए।

काशीपुर में प्राथमिक विद्यालय के पास दिनांक 11.12.2006 को एक ऑयल ट्रान्सफॉर्मर (250 के वी ए) में धमाका हुआ था जिसके परिणामस्वरूप 21 बच्चे चोटिल हो गए थे जिनमें से 4 बच्चों की मौत उपचार के दौरान हुई। धमाके का कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इस सन्दर्भ में कम्पनी ने ₹ 28.47 लाख[22] का व्यय किया था।

इस दुर्घटना के बावजूद वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों में विद्यमान ऑयल डी टी आर के जगह ड्राई टाईप ट्रान्सफॉर्मरों की स्थापना हेतु कम्पनी ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनायी थी।

कैपेसिटर बैंकस

6.2.25 कैपेसिटर बैंकस (सी बी) वोल्टेज एवं करेन्ट प्रवाह को नियमित करते हुए ऊर्जा की स्थिति सुधारता है। वोल्टेज निर्धारित से नीचे जाने की स्थिति में प्रणाली को सी बी की पर्याप्त सक्षमता दे करके हालात में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि यह वोल्टेज की क्षमता को सुधारता है और काफी हद तक बिजली में अपव्यय को कम करता है जिससे ऊर्जा की हानि में कमी होती है। सी बी का विवरण *परिशिष्ट-6.7* में दिखाया गया है।

सी बी अपनी क्षमता के 0.04959 एम यू प्रति एम वी ए आर (मेगा वोल्ट एंपियर रिएक्टिव ऊर्जा) तक ऊर्जा की बचत करती है।

कम्पनी ने (मार्च 2005) ₹ 7.02 करोड़ के 170 एम वी ए आर[23] के 13489 डी टी आर सी वी खरीदे थे एवं ये सभी सी बी सात वृतों के 13489 ट्रान्सफॉर्मरों (25 के

22 चोटिल बच्चों को काशीपुर से नई दिल्ली लाने हेतु ₹ 7.19 लाख हैलीकॉप्टर का किराया, ₹ 13.00 लाख क्षतिपूर्ति, ₹ 8.28 लाख दिल्ली में इलाज का खर्चा।

23 एम वी ए आर त्र के वी ए आर ग कुल कैपसिटर बैंक की संख्या/1000

वी ए से 1000 के वी ए) पर लगाए गये। 2005-06 से 2010-11 के दौरान कम्पनी ने 170 एम वी ए आर की सी बी की वृद्धि की और 34.57 मि0यू0 ऊर्जा की बचत की, जिसकी लागत ₹ 12.86 करोड़ थी। इस प्रकार सी बी ने अपनी लागत चार वर्ष में वसूल कर ली और पाचवें वर्ष से बचत शुरू कर दी। इस प्रकार कम्पनी अधिक ऊर्जा बचत के लिए शेष डी टी आर पर सी बी लगाने पर विचार कर सकती है।

वाणिज्यिक हानि

6.2.26 अधिकतर वाणिज्यिक हानि ऊर्जा के भीतर चोरी के अलावा उपभोक्ताओं की मीटरिंग एवं बिलिंग से सम्बन्धित है। जबकि सं त्व ऊ वि सु का योजना में बिलिंग कुशलता के क्रिर्यान्वयन के अन्तर्गत क्रमशः मीटरिंग एवं बिलिंग विषयों को लिया गया था, वाणिज्यिक हानि से सम्बन्धित अन्य आपत्तियों पर नीचे विचार विमर्श किया गया है।

एल टी कण्डक्टर को एरियल बन्च केबलों में बदलना

6.2.26.1 एरियल बन्च केबल (ए बी) कम वोल्टेज वितरण लाईनों की अवैध टेपिंग को रोकता है एवं डी टी आर के अतिभार को कम करने में मदद करता है एवं वोल्टेज की आपूर्ति को बनाए रखता है।

यह देखा गया कि कम्पनी ने मात्र रा गा ग्रा वि योजना के अन्तर्गत ए बी केबल को लगाया है। वर्ष 2006-11 के दौरान 12265 किलोमीटर लक्ष्य के सापेक्ष में 11225 किलोमीटर ए बी केबल लगाए गए थे। ऊर्जा की चोरी को कम करने के लिए एल टी लाईन को एरियल बन्च केबल में बदलने के लिए कम्पनी राज्य में विद्युत चोरी के क्षेत्र की पहचान करने में असफल रही।

अनाधिकृत टेपिंग की नगण्य जाँच

6.2.26.2 ज्यादातर वाणिज्यिक हानि ऊर्जा की चोरी, उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर में छेड़-छाड़ एवं उपभोक्ताओं के द्वारा अनाधिकृत रूप से बिजली की तार फंसा कर विद्युत प्राप्त करने के कारण है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अनुसार विद्युत चोरी, अधिनियम के द्वारा दण्डनीय अपराध है। जाँच की संख्या का विवरण, विद्युत चोरी के मामले, राशि का निर्धारण एवं वसूल की गयी राशि का विवरण ***परिशिष्ट 6.8*** में दिया गया है।

यह पाया गया कि, कम्पनी ने जाँच की संख्या हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। ***परिशिष्ट*** के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि उपभोक्ताओं की जाँच की संख्या में वर्ष 2006-07 के 3215 से वर्ष 2010-11 में 1061 एवं राशि की वसूली में उसी समयावधि में ₹ 1.11 करोड़ से ₹ 0.20 करोड़ घट कर रह गयी थी। आगे यह पाया

गया कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान ₹ 9.33 करोड़ आकलित राशि के सापेक्ष वास्तव में ₹ 2.60 करोड़ की वसूली हुई थी।

छापामार दल की कार्यकुशलता

6.2.27 विद्युत चोरी के मामलों को बन्द करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसी संयंत्र की जाँच एवं निरीक्षण हेतु उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश कर सकता है। कम्पनी के पास सतर्कता विंग हेतु 12 अधिकारियों की स्वीकृति के विरूद्ध मात्र तीन कार्यरत थे। जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चोरी की सम्भावना रहती थी वहाँ के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता चिन्हित उपभोक्ताओं/क्षेत्रों पर छापा डालने हेतु एक कार्य योजना बनाता है। विद्युत चोरी की जाँच के लिए छापामार टीम को सम्बन्धित खण्ड के अभियन्ताओं की आवश्यकता होती है। यद्यपि सतर्कता दल एवं सम्बन्धित खण्ड के बीच समन्वय की कमी थी। बहुत मामलों में यह पाया गया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में छापामार कार्यवाही करने हेतु अधिकारी/कर्मचारी की उपलब्धता नहीं रहती थी क्योंकि वे अन्य क्षेत्रों की तकनीकी कमी/शिकायतों को दूर करने में व्यस्त रहते थे। अतः छापामार टीम की सहायता हेतु किसी भी कर्मचारी का स्थानापन्न नहीं किया गया था जिससे छापे की कार्यवाही योजनाबद्ध तरीके से नहीं की जा सकती थी। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान की गई छापामारी की स्थिति नीचे तालिका-6.2.11 में दिया गया है:

तालिका-6.2.11

क्र. सं.	वर्ष	31 मार्च को कुल उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	उपभोक्ताओं की जाँच की संख्या	निर्धारित राशि (₹ लाख में)	संग्रहित राशि (₹ लाख में)	असंग्रहित राशि (₹ लाख में)	कुल उपभोक्ता के सापेक्ष जाँचे गए उपभोक्ताओं का *प्रतिशत*
1	2006-07	11.47	3215	318.67	110.92	207.75	0.28
2	2007-08	12.31	3066	418.84	126.24	292.60	0.25
3	2008-09	13.41	914	37.93	2.87	35.06	0.07
4	2009-10	14.43	882	34.78	0.20	34.58	0.06
5	2010-11	15.50	1061	123.00	19.78	103.22	0.07

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

यह देखा गया कि कुल उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में जाँचे गये उपभोक्ताओं का *प्रतिशत* नगण्य था। कम्पनी के पास आकस्मिक जाँच के लिए कोई योजना और मानक नही थे। सतर्कता दल वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर पिछले पाँच वर्षों में मात्र 9138 उपभोक्ताओं की जाँच कर सकी थी। मानवशक्ति की कमी एवं अनिर्धारित लक्ष्यों के कारण अनाधिकृत उपभोक्ताओं के संयोजनों की जाँच मात्रा प्रभावित हुई। कम्पनी को विद्युत की चोरी कम करने हेतु ठोस योजना एवं अपने सतर्कता विंग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम

6.2.28 राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 का मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एवं वाणिज्यिक सक्षमता को सुनिश्चित करना था। वर्ष 2010-11 को समाप्त पांच वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई तालिका - 6.2.12 में दिखाया गया है:

तालिका - 6.2.12 (₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
अ. देयता					
प्रदत्त पूँजी	5.00	5.00	5.00	577.00	577.00
आरक्षित एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान को सम्मलित करते हुए लेकिन आरक्षित ह्रास को छोडकर)	873.25	1141.46	1267.08	1411.43	1461.39
उधार (ऋण निधियां)					
सुरक्षित	371.30	329.52	321.65	349.44	332.15
असुरक्षित	782.16	809.02	825.07	850.20	870.15
चालू देयता एवं प्रावधान	1793.38	2138.22	2522.74	2602.47	3135.38
कुल	**3825.09**	**4423.22**	**4941.54**	**5790.54**	**6376.07**
ब. सम्पत्तियाँ					
सकल ब्लॉक	1538.20	1850.89	2009.29	2330.18	2760.30
घटाओ-ह्रास	732.97	791.36	860.87	936.05	1025.71
निबल स्थायी सम्पतियाँ	805.23	1059.53	1148.42	1394.13	1734.59
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	724.33	719.84	814.39	744.23	579.10
निवेश	260.46	211.85	102.77	162.90	128.27
चालू सम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1418.80	1558.06	1635.56	1745.23	1974.00
संचित हानि	616.27	873.94	1240.40	1744.05	1960.11
कुल	**3825.09**	**4423.22**	**4941.54**	**5790.54**	**6376.07**
देयता-इक्विटी अनुपात[24]	1:0.76	1:1	1:1.11	1:1.66	1:1.70
निवल लागत	**261.98**	**272.52**	**31.68**	**244.38**	**78.28**

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध तुलन पत्र तथा आँकड़ों से समेकित सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान ऋण (सुरक्षित एवं असुरक्षित) ₹ 1153.46 करोड़ से बढ़ कर 1202.30 करोड़ हो गया था। 2009-10 के दौरान इक्विटी में बढ़ोत्तरी हुई थी, क्योंकि राज्य सरकार ने ₹ 572 करोड़ ऊर्जा खरीद बॉन्ड की देयता राशि को इक्विटी में बदलने की स्वीकृति दे दी थी। इस अवधि में कम्पनी का ऋण समता अनुपात 1:0.76 से बढ़कर 1:1.70 हो गया था। वर्ष 2006-07 एवं 2010-11 में क्रमशः ₹ 261.98 करोड़ से ₹ 78.28 करोड़ तक नेट वर्थ में कमी आई थी, जो कि कम्पनी की उतार-चढ़ाव स्थिति को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा में निम्नांकित आपत्तियाँ भी पायी गयी थीः

[24] इक्विटि, में प्रदत्त पूँजी के साथ आरक्षित एवं आधिक्य सम्मलित है

- कम्पनी की संचयित हानि वर्ष 2006-07 में ₹ 616.27 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 1960.11 करोड़ हो गई थी जो कुल ₹ 1343.84 करोड़ बढ़ी थी (218.06 *प्रतिशत)।*
- चालू देयता एवं प्रावधान वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 1793.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 3135.38 करोड़ हो गया था।
- वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान नए 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों को पूँजीकृत किये जाने के कारण अचल सम्पतियों के ग्रास ब्लॉक में क्रमशः ₹ 1538.20 करोड़ से₹ 2760.30 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी।
- कमजोर संग्रहण कुशलता के कारण कम्पनी के विविध देनदार में कुल वृद्धि ₹ 611.38 करोड़ अर्थात् वर्ष 2006-07 में ₹ 1205.37 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹ 1816.75 करोड़, हुई थी।

कार्य परिणाम

6.2.29 वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक पाँच वर्षों की समयावधि में कम्पनी के कार्य परिणाम को नीचे तालिका - 6.2.13 में दर्शाया गया हैः

तालिका- 6.2.13

क्र सं	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	**आय (₹ करोड़ में)**					
(i)	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व	924.66	1172.94	1598.39	1805.25	2509.20
(ii)	अन्य आय[25]	30.28	46.91	115.65	226.39	182.02
	कुल आय	**954.94**	**1219.85**	**1714.04**	**2031.64**	**2691.22**
2.	**वितरण (एम यू में)**					
(i)	कुल खरीदी गई ऊर्जा	5705.88	6855.22	7854.22	8451.87	9390.28
(ii)	घटाकर संचरण हानि	175.55	123.17	222.78	171.78	140.86
(iii)	बिक्री हेतु उपलब्ध सकल ऊर्जा	5530.33	6732.05	7631.44	8280.09	9249.42
(iv)	घटाकर संचरण एवं वितरण हानि	1644.43	1995.95	2137.71	2030.88	1998.74
	बिक्री की गई सकल ऊर्जा	**3885.90**	**4736.10**	**5493.73**	**6249.21**	**7250.68**
3.	**विद्युत वितरण पर व्यय**					
(ए)	**स्थिर लागत (₹ करोड़ में)**					
(i)	कार्मिक लागत	94.39	104.75	105.99	168.87	201.94
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	14.72	13.50	15.90	17.29	20.26
(iii)	ह्रास	101.49	71.22	85.65	93.42	107.75
(iv)	ब्याज एवं वित्त व्यय	53.48	46.32	70.88	76.60	84.97
(v)	अन्य व्यय[26]	50.16	58.84	76.40	99.82	125.46

25 एफ डी आर पर ब्याज, उपकर के भुगतान पर देरी, विविध प्राप्ति एवं छूट/प्रोत्साहन आदि अन्य आय में सम्मिलित हैं।

	कुल स्थिर लागत	**314.24**	**294.63**	**354.82**	**456.00**	**540.38**
(बी)	**परिवर्तनशील लागत (₹ करोड़ में)**					
(i)	ऊर्जा की खरीद	742.92	1037.21	1463.10	1897.32	2077.67
(ii)	संचरण/व्हीलिंग व्यय	82.18	100.93	212.14	166.16	227.66
(iii)	मरम्मत एवं रख रखाव	25.09	30.32	38.76	49.20	64.57
	कुल परिवर्तनशील लागत	**850.19**	**1168.46**	**1714.00**	**2112.68**	**2369.90**
(सी)	**कुल लागत 3 (अ) + (ब)**	**1164.43**	**1463.09**	**2068.82**	**2568.68**	**2910.28**
4.	वसूली (₹ प्रति ईकाई)	2.38	2.48	2.91	2.89	3.46
5.	स्थिर लागत (₹ प्रति ईकाई)	0.81	0.62	0.65	0.73	0.75
6.	परिवर्तनशील लागत (₹ प्रति ईकाई)	2.19	2.47	3.12	3.38	3.27
7.	कुल लागत प्रति ईकाई (₹ में) (5+6)	3.00	3.09	3.77	4.11	4.02
8.	अंशदान (4-6) (₹ प्रति ईकाई)	0.19	0.01	-0.21	-0.49	0.19
9	**लाभ (+)/ हानि (-) प्रति ईकाई में (₹ में) (4-7)**	**-0.62**	**-0.61**	**-0.86**	**-1.22**	**-0.56**

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ो से संकलित सूचना)

वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में हानि में 24 से 60 पैसे प्रति इकाई बढ़ोत्तरी हुई थी। 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 में हानि 01 पैसे से 06 पैसे प्रति इकाई कम हुई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्न तथ्य भी पाये गए:

- कुल लागत प्रति ईकाई में वर्ष 2006-07 के ₹ 3.00 से वर्ष 2010-11 में ₹ 4.02 की बढोत्तरी हुई है।
- वर्ष 2006-07 में ऊर्जा खरीद की लागत ₹ 742.92 करोड़ से वर्ष 2010-11 में बढ़कर 2077.67 करोड़ हो गई थी क्योंकि कम्पनी को पीक ऑवर में उ वि नि आ के निर्धारित दरों से अधिक दरों में विद्युत की खरीद करनी पड़ी थी।
- उ वि नि ऋण के विरूद्ध ब्याज के भुगतान के कारण वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान कम्पनी के ब्याज एवं वित्तीय व्ययों में ₹ 53.48 करोड़ से ₹ 84.97 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई थी।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 में ऊर्जा खरीद, संचरण/व्हीलिंग व्यय और कार्मिक लागत, मुख्य लागत के महत्वपूर्ण तथ्य बनाती है, जिन्होंने उस वर्ष के कुल लागत का 71.39, 7.82 एवं 6.94 *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरी ओर, वर्ष 2010-11 में राजस्व के मुख्य घटकों में ऊर्जा की बिक्री सम्मलित है जो कुल राजस्व के 93.24 *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व करता है।

---

26 फ्रिंज बेनिफिट कर एवं अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान अन्य व्ययों में सम्मलित हैं।

6.2.30 कम्पनी की वित्तीय क्षमता सामान्यतः बहुत से तथ्यों के द्वारा प्रभावित होती है जैसेः-

- शुल्क का समय पर पुनरीक्षण;
- सरकार से सहायता अनुदान ;
- प्रति उपदानीकरण;
- कम्पनी का वित्त प्रबन्धन एवं
- बिलिंग कार्यकुशलता।

प्रत्येक बिन्दुओं पर निम्न अनुच्छेदों में विचार विमर्श किया गया हैः

शुल्क का समय पर संशोधन

6.2.30.1 कम्पनी को प्रतिवर्ष, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 120 दिन पहले कुल राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) याचिका दायर करनी होती थी। सार्वजनिक क्षेत्रों एवं जोखिमकर्ताओं से सुझाव एवं आपत्तियों पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात् कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत की गई आवेदन पत्र को उ वि नि आ उन संशोधनों के साथ स्वीकृत करती है जो न्यायोचित एवं उचित प्रतीत हों। ए आर आर को प्रस्तुत करने की नियत तिथि, प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, शुल्क याचिका पत्र स्वीकृति की तिथि एवं सशोधित शुल्क की प्रभावी तिथियों का विवरण नीचे तालिका - 6.2.14 में दर्शाया गया हैः

तालिका - 6.2.14

वर्ष	प्रस्तुतिकरण देय तिथि	प्रस्तुतिकरण की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	अनुमोदन की तिथि	प्रभावी तिथि
2006-07	30-11-2005	20-12-2005	20	12-07-2006	01-04-2006
2007-08	30-11-2006	17-08-2007	260	18-03-2008	01-03-2008
2008-09	30-11-2007	उ वि नि आ स्वयं ही कार्रवाही शुरू कर दी गई थी	-	18-03-2008	-
2009-10	30-11-2008	01-01-2009	32	23-10-2009	01-10-2009
2010-11	30-11-2009	30-11-2009	-	10-04-2010	01-04-2010

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

कम्पनी पांच वर्षों में से तीन वर्षों के लिए नियत तिथि को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने में असफल रही थी। आगे पाया गया कि वर्ष 2007-08 में कम्पनी ने शुल्क अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने में असाधारण देरी की है एवं इस लापरवाही के प्रभाव आगामी वर्ष तक बढ़ते गए जब आयोग ने विद्युत मूल्य सूची के लक्ष्य के लिए स्वयं कार्यवाही शुरू की थी, क्योंकि वर्ष 2008-09 में कम्पनी ए आर आर को प्रस्तुत करने में असफल रही थी। अतः कम्पनी वर्ष 2008-09 के दौरान उच्च विद्युत शुल्क से वंचित रही थी।

विस्तृत विश्लेषणों से प्रकट हुआ कि वर्तमान परिचालन एवं कार्यकुशलता के स्तर पर ऊर्जा की सम्बन्धित शुल्क राजस्व के समविच्छेद स्तर से कम था। यद्यपि लागत की वसूली परिचालन की कार्यकुशलता के द्वारा बढ़ायी जा सकती है, जैसे, ए टी एवं सी हानियों का नियंत्रण, एल टी लाईनों को एच टी लाईनों में परिवर्तित करना एवं अनमीटर्ड संयोजनों की मिटरिंग।

शुल्क आदेशों से यह भी पाया गया कि उ वि नि आ ने वर्ष 2006-11 के दौरान ह्रास पर आधारित व्यय (₹ 48.82 करोड़), संचरण व्यय सहित ऊर्जा खरीद (₹ 380.04 करोड़), समता पर प्रत्याय (₹ 35.06 करोड़) कार्यशील पूँजी पर ब्याज तथा कार्यालय एवं प्रबंधन व्यय (₹ 30.00 करोड़) जो कुल ₹ 526.35 करोड़ हैं की विभिन्न राशियों को अनुमोदित नहीं किया क्योंकि कम्पनी उन व्ययों का औचित्य नहीं बता सकी।

सरकार से सहायता अनुदान

6.2.30.2 वर्ष 2006-11 के दौरान सरकार ने कम्पनी को कोई भी सहायता अनुदान नहीं दी थी। राज्य सरकार के आदेशानुसार (दिसम्बर 2010), कम्पनी ने हरिद्वार जिले[27] में व्यक्तिगत ट्यूब वेल (पी टी डब्ल्यू) एवं घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं जिन्होनें मार्च 2011 तक शेष देय जमा करा दिया था, के सम्बन्ध में विलम्ब भुगतान अधिभार (₹ 16.83 करोड़) को माफ कर दिया था। कम्पनी ने इस राशि का दावा राज्य सरकार से किया था, लेकिन नवम्बर 2011 तक कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रति उपदानीकरण

6.2.30.3 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 में विहित है कि विद्युत शुल्क, विद्युत आपूर्ति की औसत लागत (ए सी ओ एस) को दिखाना चाहिए एवं आयोग के द्वारा निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति उपदान में चरणबद्ध कमी करनी चाहिए। राष्ट्रीय विद्युत मूल्य नीति में विचार किया गया है कि वर्ष 2010-11 तक सभी वर्गों के उपभोक्ता की विद्युत शुल्क, ए सी ओ एस के 20 *प्रतिशत* कम/अधिक की परिधि में होना चाहिए। वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के दौरान कम्पनी के विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं में प्रति उपदानों से संबन्धित स्थिति ***परिशिष्ट 6.9*** में दी गई है।

परिशिष्ट का विश्लेषण करने पर पाया गया कि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं से सम्बन्धित विद्युत शुल्क ए सी ओ एस के 20 *प्रतिशत* से कम/अधिक के भीतर था। दूसरी तरफ, घरेलु एवं कृषि उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत शुल्क ए सी ओ एस के 20 *प्रतिशत* से काफी कम था। अतः वर्ष 2009-10 तक ए सी ओ एस के 20 *प्रतिशत* कम/अधिक के अन्दर विद्युत शुल्क रखने का उद्देश्य, जैसा कि राष्ट्रीय विद्युत शुल्क नीति में विचारित था, प्राप्त नही किया जा सका। इस प्रकार राष्ट्रीय नीति के

---

27 हरिद्वार (शहरी): 2288 घरेलू 3 पी टी डब्लू उपभोक्ता ₹ 2.32 करोड़ एवं ₹ 0.89 लाख, हरिद्वार (ग्रामीण) 5895 घरेलू, 158 पी टी डब्लू उपभोक्ता ₹ 4.52 करोड एवं 0.22 करोड, रूड़की (शहरी) 3200 घरेलू 20 पी टी डब्लू उपभोक्ता ₹ 2.54 करोड़ एवं ₹ 0.03 करोड एवं रूड़की (ग्रामीण), 5392 घरेलू, 414 पी टी डब्लू उपभोक्ता ₹4.97 करोड़ एवं ₹ 2.23 करोड़।

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस असन्तुलन को लगातार एवं उत्तरोत्तर ठीक करने की आवश्यकता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन

6.2.30.4 कम्पनी की बढ़ती हुई संचित हानि से यह स्पष्ट है कि कम्पनी ने अपने आन्तरिक क्रियाकलापों से स्वाधिक्य को बढ़ाने के बजाय वित्तीय प्रबन्धन के लिए उधार की निधियों पर आश्रित रहना शुरू कर दिया था, कमजोर वित्तीय प्रबन्धन के कुछ उदाहरण नीचे बताये गये हैः

हस्तान्तरण निपटान योजना

6.2.30.4.1 जून 2004 में, हस्तान्तरण निपटान योजना को अन्तिम रूप दिया गया था। कम्पनी के बंटवारे के बाद, 1 जून, 2004 को पिटकुल की, राज्य की ऊर्जा संचरण कम्पनी के रूप में स्थापना हुई थी। इस बटवारे के परिणामस्वरूप, नई कम्पनी को परिसम्पत्तियाँहस्तान्तरण करने पर उत्तराखण्ड सरकार से ₹ 188.81 करोड़ वसूली योग्य थे। उपरोक्त राशि छः वर्ष से भी अधिक अवधि से अनिर्णित है और राज्य सरकार से अभी भी वसूल की जानी है (नवम्बर 2011)।

सामग्री की आपूर्ति

6.2.30.4.2 जून 2004 में, पिटकुल की स्थापना के बाद कम्पनी ने पिटकुल को 2004-05 से 2006-07 के दौरान नई 132 के वी संचरण लाईनों के निर्माण के लिए ₹ 68.57 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति की। यह राशि पिटकुल से नहीं वसूली गयी (नवम्बर 2011)।

अवशिष्ट का निपटान न होना

6.2.30.4.3 कम्पनी के सम्मामेलन के समय से ही कम्पनी के पास ₹ 14.52 करोड़ का प्राक्कलित अवशिष्ट एवं अप्रचलित सामग्री स्टॉक में पड़ी थी, लेकिन कम्पनी ने न तो उपरोक्त अवशिष्ट के वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन ही किया और ना ही उपरोक्त अवशिष्ट के निपटान हेतु अभी तक कोई कदम उठाए (नवम्बर 2011)।

बिलिंग कार्यकुशलता

6.2.30.5 ऊर्जा की बिलिंग की कार्यकुशलता, 100 *प्रतिशत* बिलिंग और उपभोक्ताओं से इसकी समय से वसूली में है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बिक्री हेतु उपलब्ध विद्युत एवं बिलिंग की गयी ऊर्जा को नीचे तालिका 6.2.15 में दर्शाया गया हैः

तालिका- 6.2.15 *(आकड़े एम यू में)*

क्र.स.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	बिक्री हेतु उपलब्ध ऊर्जा	5530.33	6732.05	7631.44	8280.09	9249.42
2.	निशुल्क आपूर्ति	-	-	-	-	-
3.	ऊर्जा की बिलिंग	3885.90	4736.10	5493.73	6249.21	7250.68
4.	मीटर बिक्री की प्रतिशतता के रूप में आंकलित बिक्री	कम्पनी द्वारा आँकड़े नहीं रखे गये				

(स्रोतः कम्पनी से आँकड़े उपलब्ध होने पर सूचना संकलित)

बिक्री हेतु उपलब्ध कुल विद्युत वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान 70.27 से 78.39 *प्रतिशत* की परिधि के बीच कुल ऊर्जा बिक्री के लिए उपलब्ध थी। उ वि नि आ के मानकों के अनुसार, कुल उपभोक्ताओं के सात *प्रतिशत* मामले नो-एक्सेस, नो रीडिंग (एन ए/एन आर) एवं 4 *प्रतिशत* खराब मीटरों के मामले मान्य हैं। यह पाया गया कि कम्पनी की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है क्योंकि एन ए/एन आर मामले वर्ष 2007-08 में 21 *प्रतिशत* थे जो कि वर्ष 2010-11 में घटकर 12.92 *प्रतिशत* रह गये। खराब मीटरों के मामलों में, कम्पनी की कार्यकुशलता वर्ष 2007-08 से 2010-11 में 10 *प्रतिशत* से 10.63 *प्रतिशत* बढ़ कर थोड़ी और खराब हो गई है।

प्रारम्भिक/अतिरिक्त प्रतिभूति की वसूली न करना

6.2.30.5.1 उ वि नि आ के द्वारा जारी की गई दर सूची के अनुसार (अप्रैल 2007) सभी उपभोक्ताओं (पी टी डब्लु एवं घरेलू उपभोक्ताओ[28] को छोडकर) हेतु प्रारंभिक प्रतिभूति में ₹ 1000 प्रति के.डब्लू. संशोधन हुआ था। ऐसे सभी उपभोक्ता जिन्होनें 30 दिन का नोटिस देने के बाद प्रारंभिक प्रतिभूति जमा नहीं करवाई, ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को विच्छेद किया जा सकता था। पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर दो माह के प्राक्कलित ऊर्जा उपभोग को शामिल करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति जमा को प्रतिवर्ष निर्धारित करने एवं समीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

नौ[29] वितरण खण्ड़ों के अभिलेख की नमूना जाँच में पाया गया कि 588 उपभोक्ताओं (सभी सरकारी वर्ग) के विरूद्ध ₹ 1.77 करोड़ की प्रारंभिक प्रतिभूति वसूली हेतु शेष थी। आगे यह पाया गया कि 672 उपभोक्ताओं (वाणिज्यिक एवं औद्योगिक) के विरूद्ध मार्च 2011 तक ₹ 24.96 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे (अगस्त 2011)।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में कहा (नवम्बर 2011) कि प्रारंभिक/अतिरिक्त प्रतिभूति की वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे थे तथा सम्बन्धित खण्ड़ों को तत्पर वसूली हेतु अनुदेश भी जारी किए जा रहे थे। यद्यपि, वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक/अतिरिक्त प्रतिभूति की वसूली हेतु समय पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए थी।

विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का वसूल न होना

6.2.30.5.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 एवं उ वि नि आ के द्वारा समय-समय पर जारी विद्युत शुल्क की सामान्य शर्तों के अनुसार यदि बिजली का बिल देय तिथि के 15 दिन की समयावधि के बाद भुगतान नहीं किया गया तो बिल भुगतान की देरी से, भुगतान पर 1.25 *प्रतिशत* अधिभार लागू होगा। उपरोक्त अधिनियम में संदर्भित प्रावधानों में यदि उपभोक्ता द्वारा अधिभार का भुगतान नहीं किया जाता है तो कम्पनी को विद्युत आपूर्ति बंद करने का अधिकार है। यह पाया गया कि मार्च 2011 तक ₹ 241.89 करोड़ विलम्ब से भुगतान पर अधिभार नगर

---

28 घरेलु एवं पी टी डब्लू हेतु प्रारंभिक प्रतिभूति की दर क्रमशः 400 प्रति के डब्लू एवं ₹100 प्रति के डब्लू थी

29 बाजपुर, रूद्रपुर, सितारगंज, देहरादून (केन्द्रीय एवं दक्षिण) हल्द्वानी (शहरी एवं ग्रामीण) विकासनगर, काशीपुर।

निगम/पालिका, जल निगम एवं जल संस्थान नामक उपभोक्ताओं के विरूद्ध वसूली के लिये देय है (अगस्त 2011)।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2011) कि विलम्ब से भुगतान के लिए अधिभार की वसूली हेतु राज्य सरकार के साथ पत्राचार प्रगति पर है।

विद्युत शुल्क की उगाही न करना

6.2.30.5.3 कम्पनी के कार्यालय आदेश (दिसम्बर 2003) के अनुसार, राज्य सरकार को छोड़कर विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क 09 पैसे प्रति इकाई से 25 पैसे की दर से आरोपित की जायेगी। आगे, बिना मीटर के उपभोक्ताओं से उनमें निश्चित प्रभार पर 20 *प्रतिशत* की दर से विद्युत शुल्क आरोपित की जायेगी। वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 की समयावधि के दौरान कम्पनी 16412 बिना मीटर व्यक्तिगत ट्यूबेल/पम्प सेट के उपभोक्ताओं से ₹ 2.44 करोड़ की राशि को विद्युत शुल्क के रूप में आरोपित करने में असफल रही थी। यद्यपि, कम्पनी ने वर्ष 2009-10 से विद्युत शुल्क लगाना शुरू कर दिया था।

शंट केपसिटर अधिभार न प्रभारित करने के कारण हानि

6.2.30.5.4 कम्पनी के अनुसूची दर में (मार्च 2008) ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने इलैक्ट्रानिक ट्राईवैक्टर मीटर (ई.टी.एम) या शंट केपस्टिर[30] स्थापित नहीं किया है, के वर्तमान ऊर्जा व्यय पर पाँच *प्रतिशत* की दर से कम ऊर्जा फैक्टर आरोपित किया जायेगा। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सितारगंज एवं नैनीताल खण्डों के द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान को क्रमशः 28 एवं 66 संयोजन जारी किए गए, जिस पर न तो ई टी एम की स्थापना की गई और न ही के वी ए एच पर बिलिंग की गई। इसलिए चालू व्यय पर पांच *प्रतिशत* की दर से शंट केपेसिटर अधिभार प्रभारित किया जाना था। अधिभार न प्रभारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.63 करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर, 2011) सितारगंज खण्ड के उपभोक्ता के सम्बन्ध में आगामी हानि से बचने के लिए बिलिंग के वी ए एच के आधार पर होगी। नैनीताल खण्ड के सम्बन्ध में वास्तविक दशा में स्थापित शंट केपसिटरों की जाँच होगी तथा यदि शंट केपिसिटर स्थापित नहीं हुए हों तो वांछित अधिभार लगाया जायेगा।

राजस्व संग्रहण कार्यकुशलता

6.2.31 कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व है अतः राजस्व का शीघ्र संग्रहण कम्पनी के लिए अति महत्वपूर्ण है। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष, वर्ष के दौरान आंकलित राजस्व, संग्रहित राजस्व एवं वर्ष के अन्त में बकाया राजस्व संकलन को नीचे तालिका-6.2.16 में दर्शाया गया है:

30 कैपेसिटर या केपसिटरों का समूह जो विद्युत की ऊर्जा लाईन में लगाया जाता है या विद्युत यंत्र जो वोल्टेज को बढ़ाता है या सर्किट के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाता है।

तालिका-6.2.16 *(₹ करोड़ में)*

क्र. स.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष	1096.09	1205.37	1345.18	1477.26	1574.85
2	वर्ष के दौरान बिलिंग/आकलित राजस्व	924.66	1172.94	1598.39	1805.25	2509.20
3	वसूली हेतु कुल राशि (1+2)	2020.75	2378.31	2943.57	3282.51	4084.05
4	वर्ष के दौरान कुल वसूली	815.38	1033.13	1466.31	1707.66	2267.29
5	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1205.37	1345.18	1477.26	1574.85	1816.76
6	वसूली गई राशि की कुल देयता से प्रतिशतता (4/3)	40.35	43.44	49.81	52.02	55.52
7	महीनों की संख्या के आकलन के सम्बन्ध में बकाया	15.64	13.76	11.09	10.47	8.69

(स्रोतः कम्पनी से उपलब्ध आँकड़े से संकलित सूचना)

उपरोक्त विवरणों का अवलोकन पर पाया किः

- वर्ष 2006-07 के अन्त में बकाया शेष ₹ 1205.35 करोड़ की राशि, वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 1816.75 करोड़ हो गया।
- 31 मार्च, 2011 को, समूह-वार ऋणों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि 3588 उपभोक्ताओं से असंयोजित सेवाओं के ₹ 41.27 करोड़ बकाया थे। वर्ष 2006-07 से 2009-10 की समयावधि के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत बकाया एवं वसूली अधिनियम, 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत कम्पनी ने सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों को दोषी उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक वसूली लंबित थी।

अत्यधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं का संयोजन विच्छेदन न करना।

6.2.31.1 उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (उ प वि नि लि) की नियम पुस्तिका वाणिज्यिक एवं राजस्व जो कि कम्पनी द्वारा अंगीकृत किया गया है, जो कि कम्पनी के अनुसार यदि उपभोक्ता विद्युत बिल प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं करता है तो उसका संयोजन विच्छेद कर देना चाहिए एवं धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत वसूली हेतु कार्यवाही शुरू करनी चाहिए जो कि 6 माह में पूरी हो जानी चाहिए। यह पाया गया कि कम्पनी के नौ[31] खण्डो में 25 के डब्लू तथा अधिक भार के 162 उपभोक्ताओं, जिन पर ₹ 1 लाख से अधिक विद्युत बकाया था ने 2 से 12 महीनों से विद्युत देय का भुगतान नहीं किया था। यद्यपि उनकी विद्युत आपूर्ति नहीं काटी गई थी, परिणामस्वरूप संचित बकाया ₹ 63.09 तक बढ़ गया था (मार्च, 2011)।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2011) कि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा कराने हेतु धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है एवं सम्बन्धित खण्ड को तुरन्त वसूली हेतु निर्देश दिया गया है। यद्यपि यह तथ्य रह जाता है कि वसूली हेतु उचित कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू करनी चाहिए थी।

31 बाजपुर, रूद्रपुर, सितारगंज, देहरादून (केन्द्रीय एवं दक्षिण), हल्द्वानी (शहरी एवं ग्रामीण) विकास नगर, काशीपुर

औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्युत बकाया एवं देरी से भुगतान अधिभार की वसूली न करना

6.2.31.2 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की विद्युत टैरिफ आदेश (जून 1998) के अनुसार अविभाजित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विशिष्ट स्थान पर स्थित औद्योगिक उपभोक्ता अपने विद्युत बिल पर पर्वतीय विकास छूट (एच डी आर) के अन्तर्गत विद्युत बिल में 33.3 *प्रतिशत* छूट के अधिकारी थे। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के द्वारा दिनांक 14.01.2000 को यह छूट वापस ले ली गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि कोटद्वार खण्ड के 11 औद्योगिक उपभोक्ता जो पर्वतीय विकास छूट वापस लिये जाने के कारण प्रभावित थे, वे एच डी आर को कम करने के बाद अपना विद्युत बिल जमा करते रहे। उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने कम्पनी के पक्ष में अपना फैसला दिया (10.12.2007)। तद्नुसार, कम्पनी ने प्रभावित उपभोक्ताओं को एच डी आर से सम्बन्धित बकाया एवं बिल को देरी से भुगतान करने पर अधिभार (एल पी एस) को चार समान किश्तों में भुगतान करने को कहा। उपभोक्ताओं ने एच डी आर का भुगतान तो कर दिया, किन्तु एल पी एस का नहीं किया जो कि दिनांक 10.12.2007 तक संचित होकर ₹ 11.67[32] करोड़ हो गया था।

आगे यह देखा गया कि जिन 11 औद्योगिक उपभोक्ताओं के विरूद्ध एल पी एस का भुगतान बकाया था, कम्पनी ने उनको विद्युत की आपूर्ति जारी रखी। इनमें से तीन[33] उपभोक्ताओं ने अपनी उद्योग बन्द कर दी एवं उन पर विद्युत बिल से सम्बन्धित ₹ 8.35 करोड़ अतिरिक्त बकाया जमा हो गए तथा लम्बित थे (नवम्बर 2011)।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2011) कि प्रभावित उपभोक्ताओं ने राज्य सरकार से एच डी आर अधित्याग के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन किया है (फरवरी 2008)। यद्यपि इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के चार वर्ष बाद भी कम्पनी दोषी उपभोक्ताओं से एल पी एस वसूल करने तथा विद्युत आपूर्ति बन्द करने में विफल रही थी। समय पर उचित कार्रवाही के अभाव में तीन दोषी उपभोक्ताओं ने अपना उद्योगो को बंद कर दिया। इस प्रकार, कम्पनी की ढुलमुल रवैये के कारण ₹ 20.02 करोड़ की वसूली की संभावना मुश्किल थीं।

---

32 मै. कोटद्वार स्टील लिमिटेड ₹1.49 करोड़, मैं. सन्त स्टील ₹1.27 करोड़, मै. भाग्य श्री स्टील ₹1.17 करोड़, मै. एच आर जे स्टील ₹74.04 लाख, मै. पुष्कर स्टील ₹1.04 करोड़, मैं. कुकरेती स्टील ₹1.21 करोड़ है, मै. अमृत वर्षा उद्योग ₹96.23 लाख, मै. पोद्धार एल्जिज ₹1.38 करोड़, मै. राना कास्टिग ₹88.34 लाख मै. अरूणा स्टील ₹88.11 लाख एवं मै. सिद्धवली स्टील ₹65.57 लाख।

33 मै. राना कास्टिगः बन्द कर दिया एवं संयोजन को अन्तिम रूप दिनांक 29.12.2005 को काट दिया एवं विद्युत बिल का ₹4.97 करोड़ का भुगतान कर दियाः मै. अरूणा स्टीलः बंद कर दिया ₹2.85 करोड़ के बकाया भुगतान के साथ स्थाई संयोजन दिनांक 31.05.2006 को काट दिया एवं मै. सिद्धवली बन्द हो गया ₹ 53.44 लाख के अन्तिम भुगतान के साथ स्थाई संयोजन दिनांक 26.10.2009 को काट दिया था।

स्थाई विच्छेदन के मामलों को अन्तिम रूप देने में असफलता

6.2.31.3 उ वि नि आ का विद्युत आपूर्ति कोड (अप्रैल 2007) के अनुसार कम्पनी उन दोषी उपभोक्ताओं को जो बिल भुगतान समय से नहीं करते हैं, 15 दिन भुगतान हेतु समय देने के बाद विद्युत संयोजन विच्छेदित करने का नोटिस जारी कर सकती है। तत्पश्चात् यदि उपभोक्ता छः महीनों के अन्दर अपने बिलों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे संयोजनों को स्थाई रूप से विच्छेदित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कम्पनी के नौ[34] खण्डों में ₹ 0.5 लाख प्रत्येक से अधिक बकाया वाले 5280 उपभोक्ताओं ने 12 महीनों से 48 महीनों तक के बकाया का भुगतान जमा नहीं किया था। इन उपभोक्ताओं की आपूर्ति का अस्थाई विच्छेदन कर दिया गया था तथा बिलिंग भी बन्द कर दी थी। यद्यपि, कम्पनी ने इन उपभोक्ताओं का स्थायी विच्छेदन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.59 करोड़ बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई थी (मार्च 2011)।

उपभोक्ता संतुष्टि

6.2.32 ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों में एक मुख्य तत्व उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना एवं उनको सेवा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। प्रायः उपभोक्ताओं को नये संयोजन अवमुक्त करने के लिए वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता या संयोजित भार को बढ़वाना, ट्रान्सफॉर्मरों तथा/अथवा लाइनों पर लगातार ट्रिपिंग, गलत मीटरिंग तथा बिलिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कम्पनी को कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग, ऑनलाइन बिल भुगतान, उपभोक्ता देख-रेख केन्द्र इत्यादि उपभोक्ता अनुकूल व्यवस्था लाने की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ सकें एवं उनकी शिकायतें कम हो सकें। बिलिंग सम्बन्धी मामले को पूर्व के प्रस्तरों में पहले ही बताया जा चुका है। शिकायतों के निपटान को नीचे बताया गया है:

शिकायत का निस्तारण

6.2.32.1 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसरण में उ वि नि आ ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को निस्तारित करने के मानक एवं समयसीमा तय की है। आयोग ने कम्पनी के कार्यकुशलता मानक भी तय किये थे जिसमें सेवा प्रदान करने की समयावधि एवं उसका पालन न करने पर उपभोक्ता को प्रतिपूर्ति के भुगतान का भी प्रावधान है। लाईनों में खराबी आना, वितरण ट्रान्सफॉर्मरों का विफल होना, लोड शेडिंग/निर्धारित आउटेज की अवधि, वोल्टेज में भिन्नता, मीटर की शिकायतें, नये मीटरों/नये संयोजन का लगना या उनको बदलना इत्यादि सेवा के मानकों में निहित हैं।

34 बाजपुर, रूद्रपुर, सितारगंज, देहरादून (केन्द्रीय व दक्षिण), हल्द्वानी (शहरी व ग्रामीण) विकास नगर, काशीपुर

विभिन्न प्रकार की शिकायतों जैसे कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिये फ्यूज उड़ जाने पर क्रमशः 4/8 घंटा, लाइन खराब होने पर 6/12 घंटा तथा मैदानी/पहाड़ी क्षेत्रों में खराब डी टी आर बदलने के लिये क्रमशः 24/48 घंटे समयसीमा निर्धारित की गई थी।

कम्पनी के पास देहरादून एवं हल्द्वानी में तीन सदस्यीय दो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निस्तारण फोरम हैं। उपभोक्ता की शिकायतों/पीड़ा की सुनवाई के लिए फोरम नियमित तौर पर तिथियों की घोषणा करता है। फोरम को प्राप्त कुल शिकायत एवं निस्तारण की स्थिति नीचे तालिका- 6.2.17 में दर्शायी गई है।

तालिका - 6.2.17 *(संख्या में)*

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2008-10	2010-11
1.	कुल प्राप्त शिकायतें[35]	57	122	260	165	173
2.	समय सीमा के अन्दर शिकायतों का निस्तारण	23	29	144	77	47
3.	निर्धारित समय के बाद शिकायतों का निस्तारण	18	24	31	30	29
4.	अनिर्णित शिकायतें	16	69	85	58	97
5.	कुल शिकायतों की तुलना में देरी से की गई शिकायतों का निस्तारण की प्रतिशतताः	31.58	19.67	11.92	18.18	16.76

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं उपभोक्ता शिकायत निस्तारण फोरम द्वारा प्राप्त आकड़ो से संकलित सूचना)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-11 के दौरान फोरम ने 549 शिकायतें प्राप्त की जिसमें से 320 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय पर किया। 132 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय के बाद हुआ एवं वर्ष 2010-11 के अन्त तक 97 शिकायते अनिस्तारित थीं।

ऊर्जा संरक्षण

6.2.33 इस तथ्य को जानते हुए कि ऊर्जा का प्रभावी उपयोग इसका संरक्षण माँग एवं आपूर्ति की अन्तर को कम करने का सबसे मितव्ययी विकल्प है, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 लागू किया। ऊर्जा संरक्षण एक बहुआयामी क्रिया होने से अधिनियम में विभिन्न संगठनों के प्रोत्साहन एवं नियमन की भूमिका है। प्रोत्साहन भूमिका में जागरूकता अभियान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, प्रदर्शन परियोजनाएँ, आर एण्ड डी एवं उपयोगिता अध्ययन, सम्मिलित है। नियमन भूमिका में, बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के अनिवार्य लेखापरीक्षण हेतु नियम-कानून बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा उपभोग के लिए नियम बनाना, मानकों को लागू करना एवं राजस्व और वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान सम्मिलित हैं।

अप्रैल 2006 से कम्पनी ने उन उपभोक्ताओं को जिन्होनें सोलर वॉटर हीटिंग प्रणाली स्थापित की एवं प्रयोग की प्रत्येक को 100 लीटर की क्षमता वाले सोलर गीजर प्रणाली पर ₹ 75 प्रतिमाह या उस महीनों का वास्तविक बिल या जो भी कम हो की छूट दी। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान कम्पनी ने ₹ 33.57 लाख की कुल छूट प्रदान की। वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की छूट का विवरण कम्पनी के पास

35 पिछले वर्ष के समाप्ति पर अनिर्णित शिकायतों सहित प्राप्त कुल शिकायतें।

उपलब्ध नहीं था। यद्यपि, कम्पनी ने अपने सोलर ऊर्जा के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु इसे वेब साइट पर डालने के अलावा सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं किया।

ऊर्जा लेखापरीक्षा

6.2.34 प्रणाली सुधार के अतिरिक्त, क्रय/विक्रय ईकाईयों एवं हानि के प्रत्येक स्तर पर सही लेखांकन के द्वारा ऊर्जा हानि के क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें घटाने के लिए कदम उठाने के उद्देश्य के साथ विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षा की एक अवधारणा लाई गई। ऊर्जा लेखापरीक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं;

- उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत उपभोग की अच्छी एवं ज्यादा सही अनुश्रवण;
- अपशिष्टों को समाप्त करना।
- संयत्रों के खराब पडे रहने के समय को कम करना;
- परिचालन लागत में प्रभावशाली बचत एवं राजस्व में वृद्धि।

यह पाया गया कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 की समयावधि के दौरान कम्पनी ने ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं करायी। ऊर्जा लेखापरीक्षा न करवाने का मुख्य कारण डी टी आर की मीटरिंग पूर्ण न होना था। डी टी आर की मीटरिंग फीडर से विभिन्न उपभोक्ताओं तक विद्युत की आपूर्ति हेतु उचित लेखा रखने में तथा उच्च विद्युत हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता करता है। उ वि नि आ ने अपनी विद्युत शुल्क आदेश (2010-11 से 2011-12) के द्वारा कम्पनी को डी टी आर मीटरों का कार्य शीघ्रता से करने का निर्देश दिया था। यद्यपि, डी टी आर मीटरों का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था; क्योंकि 2482 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 881 मीटर (मात्र 35.50 *प्रतिशत)* स्थापित किए गए थे (अगस्त 2011)।

अनुश्रवण

6.2.35 राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा वितरण कम्पनी का प्रमुख योगदान रहता है। संगठन के लिए मितव्ययितापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण परिचालन में सफलता हेतु सूचना प्रबन्धन प्रणाली होनी चाहिए (एम आई एस)।
हमने पाया किः

- कम्पनी के पास ऊर्जा/चरम कमियों को रोकने के लिए ऊर्जा खरीद हेतु लम्बे समय तक चलने वाले समझौतों के लिए समय पर निर्णय लेने हेतु राज्य में ऊर्जा की माँग एवं आपूर्ति की स्थिति के मूल्यांकन की उचित प्रणाली नहीं थी।
- कम्पनी के पास वितरण प्रणाली के कार्यकुशलता मानकों एवं लक्ष्यों के पालन के लिए अनुश्रवण की कोई उचित प्रणाली नहीं थी।

- कम्पनी के पास भण्डार सामग्री के अवधिवार विश्लेषण करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
- कम्पनी के पास डी टी आर की उम्र, पूर्व विवरण (हिस्ट्री शीट) एवं रखरखाव हेतु आवश्यक सूचनाओं को दर्ज करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

6.2.36 आन्तरिक नियंत्रण एक अभिकल्पित प्रक्रिया है जिसे परिचालन की कार्यकुशलता की उचित सुनिश्चितता, वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता एवं संविधियों एवं कानूनों के पालन की सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सन्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा संविधियों का सख्त पालन, संहिताएँ तथा नियमपुस्तिकाएँ, त्रुटियों एवं अनियमितताओं के जोखिम को कम करती हैं। कम्पनी की प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली निम्न कमियाँ उजागर करती हैः-

- वितरण हानि को रोकने के लिए नियंत्रण प्रणाली न बना पाने के कारण एवं सभी उपभोक्ताओं की 100 *प्रतिशत* मीटरिंग करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप अधिक हानि हुई तथा कम्पनी को अर्थदण्ड देना पड़ा।
- कम्पनी अपने बकायों की समय से वसूली सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं कर पाई, जिसके परिणामस्वरूप भारी बकाये संचित हो गये।
- देनदारों की वास्तविक स्थिति की पहचान करने हेतु बकायों का अवधिवार/उपभोक्तावार विश्लेषण के अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया था।
- कम्पनी विहित समय में अस्थाई विच्छेदन को स्थाई विच्छेदन में परिवर्तित करने में विफल रही परिणामस्वरूप राजस्व की कम वसूली हुई।

निष्कर्ष

कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नाकिंत बिन्दुओं को दर्शाता हैः

- *वितरण क्षमता की वृद्धि की गति, सम्बद्ध भार की वृद्धि की गति के अनुरूप नहीं थी परिणामस्वरूप वितरण नेटवर्क में निरन्तर विफलता और विद्युत आपूर्ति में ट्रिपिंग के साथ ट्रान्सफॉर्मर की ओवरलोडिंग हुई।*
- *राज्य में 927 गैर-विद्युतीकरण गांवों में से मार्च 2011 तक कम्पनी ने केवल 591 गांवों को विद्युतीकरण किया जो ग्रामीण विद्युतीकरण की कमजोर दर को इंगित करता है।*

- *कम्पनी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश को नहीं माना तथा ढेकेदारों को ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया।*
- *कम्पनी उप-केन्द्रों तथा सम्बन्धित लाईनों के निर्माण हेतु संविदा करने से पहले वन विभाग से स्वीकृति लेने में विफल रहा।*
- *कम्पनी राज्य में विद्युत की माँग को पूरा करने में विफल रही तथा अत्याधिक उच्च दरों में अनियोजित खरीद की।*
- *कम्पनी की संचित हानि में वर्ष-दर वर्ष बढ़ोत्तरी हुई तथा वर्ष 2010-11 तक कम्पनी की सपूर्ण पूँजी तथा संचय समाप्त हो गये।*
- *कम्पनी बकाया राशि की वसूली हेतु पर्याप्त एवं प्रभावशाली कदम उठाने में असफल रही।*
- *कम्पनी के पास वितरण प्रणाली के लक्ष्यों एवं कार्यकुशलता मापदण्डों के पालन के अनुश्रवण की कोई उचित प्रणाली नहीं है।*

अनुशंसाएं

कम्पनी के लिए आवश्यक है किः

- *वितरण क्षमता, संयोजित भार की गति के अनुरूप बढ़ाना।*
- *ग्रामीण विद्युतीकरण को शीघ्र गति देना।*
- *केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन का पालन करना।*
- *उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित लाईनों के निर्माण हेतु संविदा करने से पहले वन विभाग से स्वीकृति लेना।*

  बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना।
- *त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही हेतु ऑन लाईन एम आई एस का विकास।*

लेन देन की लेखापरीक्षा

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम

6.3 पर्यटकों के लिये ईको हट्स का निर्माण न किया जाना और ₹ 56.78 लाख का अन्य सुविधाओं पर व्ययावर्तन

ईको हट्स के निर्माण के लिये भारत सरकार से प्राप्त ₹ 56.78 लाख की धनराशि को अन्य सुविधाओं के लिये व्ययावर्तित किये जाने के परिणामस्वरूप लोग पर्यटन सुविधाओं से वंचित हुए।

राज्य में ₹ 6.02 करोड़ की लागत से कार्बेट नेशनल पार्क को टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (परिषद) के प्रस्ताव को

भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया (सितम्बर 2007)। भारत सरकार द्वारा (2007-08 से 2009-10 के दौरान) कार्बेट सर्किल के बाहर, रामनगर (नैनीताल) में ढैला, ढ़िकुली और मोहान प्रत्येक के लिए 25 ईको हट्स और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए ₹ 3.52 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया गया। यह कार्य कुमाँऊ मण्डल विकास निगम (निगम) द्वारा सम्पादित किया जाना था। तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक और महाप्रबन्धक द्वारा इस आशय का आश्वासन प्रदान किया गया था कि निर्माण के लिए सभी तीन स्थानों पर विवाद रहित भूमि उपलब्ध है।

निगम के अभिलेख की जाँच (मार्च 2011) में पाया गया कि केवल ढैला और मोहान में ही ईको हट्स का निर्माण किया गया है और ढ़िकुली में भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। जिससे सम्बन्धित अनुदान ₹ 56.78 लाख को हाई-टेक शौचालय (₹ 20.22 लाख) और साइनेज (₹ 36.56 लाख[36]) के निर्माण के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही इस प्रकार के व्यय हेतु व्ययावर्तित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, निगम ने स्वीकार किया कि (जुलाई 2011) ढ़िकुली में भू-स्वामियों की ऊँची माँग के कारण भूमि क्रय नहीं की जा सकी और सरकारी कम्पनी होने के कारण सर्किल रेट से अधिक दर पर जमीन खरीदना निगम के लिए सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि निगम द्वारा अनुदान का उपयोग परिषद और निगम की मीटिंग (अक्टूबर 2008) में लिए गए निर्णयों के आधार पर किया गया तथा वर्तमान में निगम ने ढ़िकुली में 0.53 हेक्टेयर भूमि 12 वर्ष के लिए लीज पर ली है। जिसका उपयोग टेन्ट लगाकर टूरिस्ट कैम्प के लिए किया जा रहा है।

निगम के उत्तर पर विचार किया गया और पाया गया कि ढ़िकुली में भूमि की उपलब्धता से सम्बन्धित तथ्यों को सुनिश्चित किए बिना ही भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना ₹ 56.78 लाख का व्ययावर्तित कर दिया और निगम द्वारा ढ़िकुली में टेन्टों की अस्थायी स्थापना पर ₹ 8.47 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार की दोनों एजेन्सियों (परिषद और निगम) द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना न केवल भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर लिया गया बल्कि ढ़िकुली में पर्यटकों को वांछित सुविधाओं से वंचित रखा।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई, 2011), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर, 2011)।

---

36 परियोजना के अधीन ढिकुली में साइनेज लगाने के लिए केवल ₹3.80 लाख अनुमोदित किया गया था, जिसके विरूद्ध ₹40.36 लाख व्यय किया गया।

6.4 पर्यटक आवास गृह पर निष्फल व्यय

पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना प आ गृ के निर्माण पर ₹ 1.02 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि प आ गृ में इसके निर्माण से पर्यटकों का ठहरना शून्य था।

शासन द्वारा अल्मोड़ा जिले के जालना में 40 शैय्या के पर्यटक आवास गृह (प आ गृ) के निर्माण के लिये कुमाँऊ मुण्डल विकास निगम को ₹ 1.11 करोड़ स्वीकृत एवं अनुदानित किया गया (मार्च 2002 और मई 2008)। पर्यटक आवास गृह के निर्माण में ₹ 1.02 करोड़ का व्यय हुआ जो जनवरी 2008 में पूर्ण हुआ एवं पर्यटक आवास गृह के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति मई 2008 में कर दी गई।

निगम के अभिलेख की जाँच (मार्च 2011) के दौरान यह पता चला कि मई 2008 से अब तक (दिसम्बर 2011) पर्यटक आवास गृह में पानी की अनुपलब्धता के कारण कोई पर्यटक नहीं ठहरा था। हांलाकि उत्तराखण्ड के कुमाँऊ क्षेत्र में समान्यतयः पानी की कमी है, फिर भी क्षेत्र के वातावरण एवं परिदृश्यों को ध्यान में रखकर पर्यटक आवास गृह, जालना के निर्माण को उपर्युक्त माना गया था। यद्यपि, निगम को पर्यटक आवास गृह में पानी की अनुपलब्धता की पूर्ण जानकारी थी एवं उपाध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया (जून 2004) था कि पर्यटक आवास गृह जालना के निर्माण से पूर्व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। हांलाकि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना किया गया।

यह इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2011) कि पर्यटक आवास गृह का निर्माण करते समय पानी बोरिंग के द्वारा उपलब्ध था जो कि बाद में सूख गया। पर्यटक आवास गृह में पानी की उपलब्धता हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान से संयोजन लिया जा रहा है, जिसके लिये निर्धारित शुल्क ₹ 0.88 लाख जमा (सितम्बर 2009) करा दिया गया है। प्रबन्धन के उत्तर पर विचार किया गया एवं पाया गया कि निगम अभी तक पर्यटक आवास गृह में सुचारू रूप से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफल रहा। जल संस्थान से पानी का संयोजन दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी प्रतिक्षित है। अतः पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पर्यटक आवास गृह के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 1.02 करोड़ निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त पर्यटक आवास गृह के कर्मचारियों के वेतन पर लगातार किया जा रहा व्यय भी निगम की आवर्ती हानि है।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2011) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

यू पी हिल इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन)

6.5 अनाधिकृत रूप से कर्मचारी भविष्य निधि को रोके जाने के कारण ₹ 21.24 लाख की हानि

कर्मचारी भविष्य निधि को अनाधिकृत रूप से रोकने के कारण निगम को ₹ 21.24 लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रबन्ध अधिनियम, 1952 (अधिनियम) के अनुच्छेद-1 के अनुसार प्रत्येक अधिष्ठान जो 20 या अधिक व्यक्ति नियुक्त करते हैं या केन्द्र सरकार के शासकीय राजपत्र द्वारा अधिसूचित अधिष्ठान है, इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अधिनियम के अनुच्छेद-17 के अनुसार सरकार (केन्द्र या राज्य जैसा भी प्रकरण हो) शासकीय राजपत्र की अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिष्ठान, जिनके ऊपर यह अधिनियम लागू होता है, को मुक्त कर सकता है। ऐसे अधिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक न्यास परिषद की स्थापना करेगें।

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (निगम) के अभिलेख की जाँच में (फरवरी 2011) में पाया गया कि निगम (कोड सं. UA/33097) अधिनियम के अन्तर्गत आता है। यद्यपि, निगम ने कर्मचारियों के ई पी एफ का अंशदान उनके ई पी एफ खाते में नहीं जमा किया किन्तु निधि को, 1990 में पूर्व नियंत्रक निगम[37] के लेखे के बँटवारे के उपरान्त नवम्बर 1991 में बनाये गये न्यास[38] द्वारा संचालित किया गया। जून 2008 में की गई जाँच के आधार पर क्षेत्र भविष्य निधि आयुक्त (क्षे भ नि आ) द्वारा अक्टूबर 2009 में ई पी एफ से सम्बन्धित ₹ 2.07 करोड़ ब्याज सहित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानातरित करने हेतु आदेश जारी किया गया। उपरोक्त देय राशि को जमा करते समय (दिसम्बर 2009 से जून 2010 के दौरान) निगम को ₹ 21.24 लाख भुगतान अपने संसाधनों से करना पड़ा क्योंकि ब्याज के रूप में निगम द्वारा इन निधियों के निवेश से अर्जित राशि अभिकर्ताओं को देय ब्याज की राशि से कम थी, इसके परिणामस्वरूप निगम को अतिरिक्त लागत एवं हानि वहन करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निगम ने कहा (अप्रैल 2011) कि न्यास का निर्माण पूर्व नियंत्रक निगम के विभाजन से हुआ था और विभाजन के बाद निगम ने अधिनियम से छूट के लिए आवेदन किया है। हांलाकि, बिना छूट प्राप्त किये न्यास की स्थापना करना अवैध एवं अधिनियम का उल्लंघन था।

---

37 हिल्ट्रान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान न्यास।

38 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

अतः प्रावधानों के विरूद्ध ई पी फ को अनाधिकृत रूप से रोकने के कारण निगम को ₹ 21.24 लाख की हानि हुई।

प्रकरण शासन निगम को सन्दर्भित किया गया (मई 2011), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम

6.6 परामर्शग्राही पर निष्फल व्यय

निगम द्वारा परामर्शदायी फर्म को अनुचित लाभ देने के कारण ₹ 1.88 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया क्योंकि परियोजना के शीघ्र प्रारम्भ करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे।

उत्तराखण्ड शासन के द्वारा 304 मेगावाट मनेरीभाली-II जल विद्युत परियोजना[39] के विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों को सिंचाई विभाग द्वारा कराने का निर्णय (मार्च 2002) किया गया। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग के मध्य निष्पादित (जून 2002) समझौता पत्र के अनुसार, परियोजना के लिए राशि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा निगम को प्रदान की जाएगी जो कि नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा ऋण समझौते के अनुसार ऋण के उपयोग के लिए उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होगी। समझौता पत्र के अनुसार कार्य 42 माह के अन्दर (दिसम्बर 2005 तक) पूरा होना था। कार्य जुलाई 2002 में प्रारम्भ हुआ और दिसम्बर 2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था, किन्तु इसमें विभिन्न तकनीकी कारणों से देरी हुई तथा यह अक्टूबर 2007 में पूर्ण हुआ।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि परियोजना के प्रारम्भ होने में प्रत्येक दिन की देरी के कारण निगम को लगभग ₹ 1 करोड़ के राजस्व घाटा और ₹ 30 लाख का ब्याज वहन करना पड़ेगा, राज्य सरकार के विशेष ऊर्जा सलाहकार ने अपने आप से परियोजना के विभिन्न स्तरों पर परियोजना अभियंताओं के मार्गदर्शन के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2006)। तदानुसार निविदायें[40] आमंत्रित की गई थी (27.01.2007) जिसमें निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14.03.2007 थी। निर्धारित अवधि के भीतर निगम को मेसर्स कैविएट इन्टरनेशनल

39 परियोजना को 1991-92 को निधि की कमी के कारण रोक दिया गया।

40 प्रतिष्ठित कम्पनियों जैसे एन.एच.पी.सी., एस.जे.वी.एन.एल राइट्स और वैपकांस को 31.01.2007 को अलग-अलग निविदा हेतु आमंत्रण भेजा गया।

प्रोजेक्ट कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड (के आई पी सी एल) की केवल एक निविदा प्राप्त हुई।

राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2007 में हुई बैठक के दौरान सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इंगित किया गया कि परियोजना को यथाशीघ्र फरवरी 2008 तक प्रारम्भ किया जा सकता है। जबकि दिनांक 01.05.2007 को हुई एक दूसरी बैठक के दौरान विशेष ऊर्जा सलाहकार ने प्रस्ताव रखा कि यदि के आई पी सी एल की सेवाएँ उसके प्रबंध पर रखी जाए तो परियोजना अक्टूबर 2007 में प्रारम्भ हो सकती है।

तथापि, के आई पी सी एल अनुभव के न्यूनतम आधारभूत मापदण्ड भी पूरा नहीं कर रही थी और उसके द्वारा प्रस्तावित दर भी ज्यादा थी, इसके बावजूद के आई पी सी एल को दिनांक 17.05.2007 को ₹ 0.76 करोड़ मूल्य का आशय पत्र जारी किया गया, जिसमें 10 *प्रतिशत* परिवर्तन अनुमन्य था। यद्यपि, भुगतान की कुछ शर्तें के आई पी सी एल को मान्य नहीं थी, इसलिए जुलाई 2007 में आशय पत्र पुनरीक्षित किया गया तथा निगम और के आई पी सी एल के बीच ₹ 0.76 करोड़ (कर रहित) का अनुबंध किया गया। नवम्बर 2007 में अनुबंध मूल्य 10 *प्रतिशत* परिवर्तन के साथ बढ़ा कर ₹ 1.14 करोड़ कर दिया गया था और मार्च 2008 में 10 *प्रतिशत* के परिवर्तन के साथ ₹ 1.52 करोड़ कर दिया गया। अंततः परियोजना मार्च 2008 में प्रारम्भ हो सकी जबकि परियोजना पूर्ण होने की तिथि अक्टूबर 2007 थी तथा के आई पी सी एल को ₹ 1.88 करोड़ का भुगतान किया गया (₹ 0.15 करोड़ के 10 *प्रतिशत* परिवर्तन और ₹ 0.21 करोड़ के करों को शामिल करते हुए)।

तथापि, ₹ 1.88 करोड़ अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी भावी उद्देश्य, जो अनुमानित राजस्व क्षति को टालने हेतु परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने का था, प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके कारण पूरा व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर निगम ने कहा (अगस्त/दिसम्बर 2011) कि कार्य की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुए के आई पी सी एल का प्रस्ताव जिसमें कि कुछ मापदण्ड कम थे, को स्वीकार किया गया क्योंकि केवल यही प्रस्ताव निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर यदि परामर्श सेवाएँ नहीं ली गई होती तो उद्देश्य को सिचांई विभाग द्वारा प्रस्तावित तिथि फरवरी 2008 तक प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तथापि, प्रबंधन अनुमानित राजस्व घाटे तथा उद्देश्यों का समय पर पूरा न होने के मुद्दो पर मूक रहा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि के आई पी सी एल की

नियुक्ति के बावजूद भी वांछित उद्देश्यों जो अनुमानित परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने से अभिभूत था, को प्राप्त नहीं किया जा सका था। निगम द्वारा राजस्व क्षति को टालने हेतु एस जे वी एन एल का प्रस्ताव जो कि मितव्ययिता और तकनीकी रूप से उत्तम था और परियोजना के विविध धारकों द्वारा सुझाया गया था, लेकिन तीन दिन देर से प्राप्त हुआ था, के ऊपर विचार नहीं किया तथा के आई पी सी एल को अनुचित लाभ दिया गया जिसके कारण ₹ 1.88 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। अतः निगम द्वारा के आई पी सी एल को अनुचित लाभ देकर ₹ 1.88 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

देहरादून (अश्विनी अत्रि)
दिनांक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (विनोद राय)
दिनांक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक